जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

जनपद–फतेहपुर

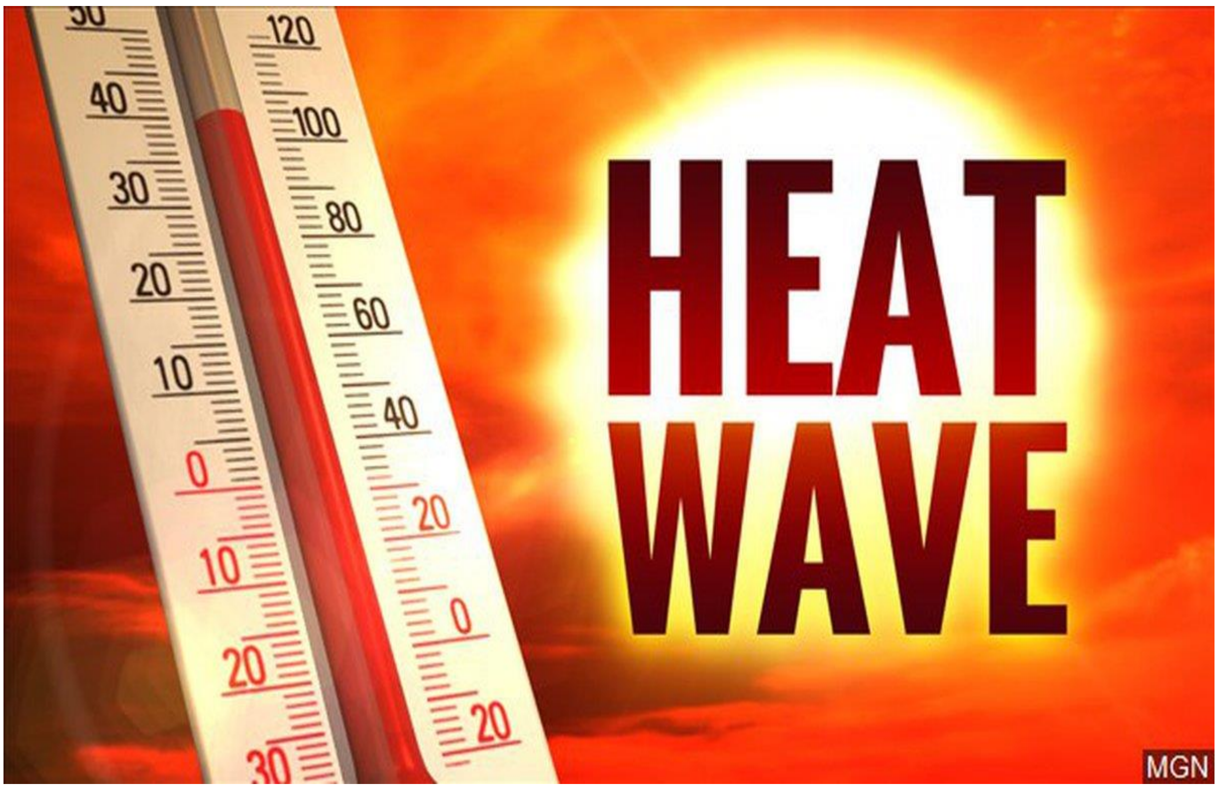

हीटवेव एक्शन प्लान–2025–26

डॉ0 अविनाश त्रिपाठी
अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)
फतेहपुर।

रविन्द्र सिंह
जिलाधिकारी
फतेहपुर।

विषय–विवरण

01 जनपद फतेहपुर का मानचित्र 4

01. पृष्ठ भूमि एवं वस्तुस्थिति (Background and current situation) 5

1-1 परिचय (Introduction) 5

***1.2* जिला प्रोफाइल (District Profile)** 6

1.3 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित सम्बन्धित मानदण्डः 7

1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव 9

1.5 विगत 05 वर्षो में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव लू दिवस की संख्या 10

2-हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण/आवश्यकता 14

***2.2* हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना का उद्देश्य** 14

***2.3* जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)** 14

***2.4* हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियॉ** 14

***2.5* हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र–** 14

3-विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के चरणवार उत्तरदायित्व एवं विभागीय 18

***4* हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन** 35

***4.1* हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम।** 35

***4.2* हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमिक उपचार** 36

***4.3* हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ो का सुंग्रहण** 36

***4.4* हीटवेव (लू) से संबेधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी** 36

4.5 हीटवेव (लू) के दौरान क्या करें, और क्या न करें 37

5 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां 38

5.1 हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य। 39

***5.2* क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा** 39

***5.3* दीर्घकालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय।** 39

***5.4* सीखें** 39

***5.5* हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन** 40

***5.6* वित्तीय प्रावधान** 40

संलग्नक–3 महत्वपूर्ण फोन नम्बर की सूची (नोडल अधिकारी सहित) 41

सन्देश

मौसम विभाग ने इस बार अधिक गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। जनपद में अप्रैल से जून महीने में गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। वर्तमान में जलवायु परिर्वतन के कारण विभिन्न आपदाएं उभर कर आयी है, जिसमें लू यानी हीट वेव जानलेवा भी साबित हो सकता है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर इस बार हीट वेव/लू का खतरा अधिक है. ऐसे में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारीगण एवं आम जनमानस को अलर्ट रहने की जरूरत है।

मुझे पूर्ण विश्वास है, कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, फतेहपुर द्वारा लू का आम–जनमानस विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्वों, दिव्यांगजन, अस्वस्थ्य व्यक्तियों तथा खुले क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों को दृष्टिगत रखते समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जनपद की हीटवेव कार्ययोजना 2025–26 तैयार किया गया है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन से आम जन–मानस के जीवन, कमजोर, असहाय, असुरक्षित वर्ग के व्यक्तियों, अस्वस्थ्य व्यक्तियों, फसलों एवं पशु स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है।

मैं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, फतेहपुर द्वारा जनपद के समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय विभागों के समन्वय से तैयार किये गये हीटवेव कार्ययोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु शुभकामनाऍ व्यक्त करता हूॅ।

(रविन्द्र सिंह)
जिलाधिकारी, फतेहपुर।

जनपद फतेहपुर का मानचित्र

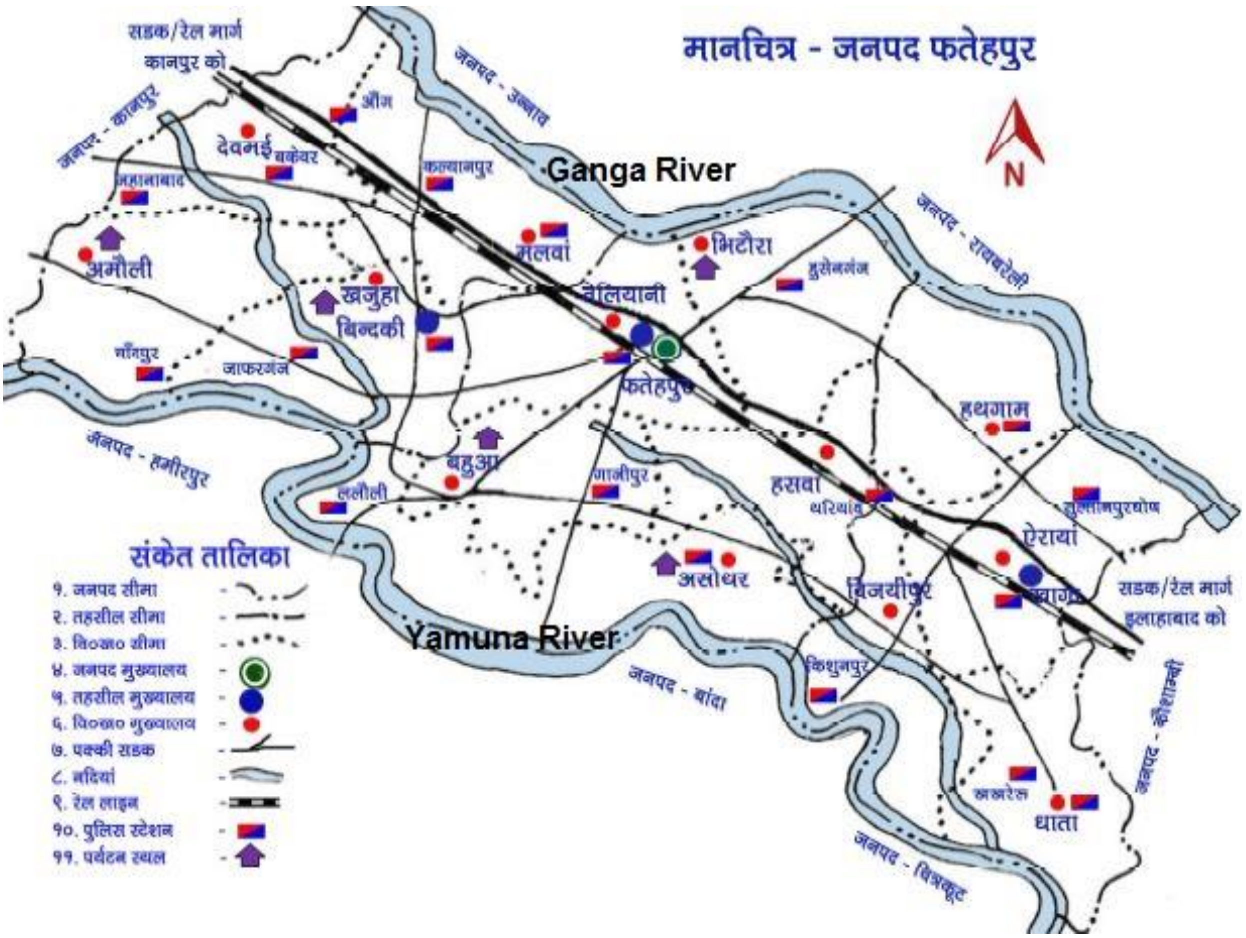

01. पृष्ठ भूमि एवं वस्तुस्थिति **(Background and current situation)**

1-1 परिचय (Introduction)

जिले के बारे में

फतेहपुर जिला उत्तरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जिलों में से एक है। जिले में 4,152 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल है। जिले की जनसंख्या 2,632,733 (2011 की जनगणना) है। प्ररूष की संख्या– 1384722 एवं महिला की संख्या–1248011 है।

जिले का प्रशासनिक मुख्यालय फतेहपुर शहर में स्थित है। यह जिला पवित्र नदियों गंगा और यमुना के तट पर स्थित है। भिटौरा और असनी के घाटों को पुराणों में पवित्र माना गया। भिटौरा भृगु ऋषि की तपोस्थली के रूप में मानी जाती है। फतेहपुर जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है।

यह जिला प्रयागराज और कानपुर दो महत्वपूर्ण जिलों के बीच स्थित है। फतेहपुर जिला रेल मार्गों और सड़कों से उन शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिला की प्रयागराज जिले से दूरी 117 किमी है और कानपुर से रेलवे द्वारा 76 किमी है। जिले की उत्तर सीमा में गंगा नदी है और इसकी दक्षिणी सीमा यमुना नदी बहतर है। वैदिक युग में इस जिले के क्षेत्र को "अंतर्देश" के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है दो बड़ी नदियों के बीच उपजाऊ क्षेत्र। जिले का उत्तरी क्षेत्र "अवधी संस्कृति" से प्रभावित है, जबकि दक्षिणी भाग "बुंदेलखंड" का प्रभाव दिखाता है।

जलवायुः–जिले की जलवायु गर्म होती है। नवंबर से फरवरी के बीच से ठंड का मौसम, मार्च से लेकर जून के बीच गर्मी का मौसम, उकके बाद होता मध्य जून से सितंबर के अंत तक की अवधि तक दक्षिण–पश्चिम मानसून का मौसम होता है।

मौसमः–

- अधिकतम तापमानः 45–48 डिग्री सेल्सियस। माह मई और जून।
- न्यूनतम तापमानः– 3.0–8.6 डिग्री सेल्सियस। माह दिसम्बर और जनवरी।

1.2 जिला प्रोफाइल (District Profile)

1. **तहसील** — 03
   1. सदर
   2. बिन्दकी
   3. खागा
2. **खण्ड विकास** — 13
   1. तेलियानी
   2. अमौली
   3. देवमई
   4. मलवां
   5. धाता
   6. खजुहा
   7. हसवां
   8. विजयीपुर,
   9. असोथर
   10. बहुआ
   11. ऐरायां
   12. भिटौर
   13. हथगांम
3. **नगर पालिका परिषद्** — 02
   1. नगर पालिका परिषद् फतेहपुर।
   2. नगर पालिका परिषद् बिंदकी।
4. **नगर पंचायत** — 08
   1. नगर पंचायत खागा।
   2. नगर पंचायत किशनपुर।
   3. नगर पंचायत हथगांम।
   4. नगर पंचायत बहुआ।
   5. नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद।
   6. नगर पंचायत असोथर।
   7. नगर पंचायत कारीकान धाता।
   8. नगर पंचायत खखरेरू
5. **ग्राम पंचायतों की संख्या** — 816
6. **राजस्व गांव** — 1521
7. **जनपद में प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों की संख्या** — 2123
8. **जनपद में इण्टरमिडिएड विद्यालयों की संख्या** — 438

1.3 हीटवेव (लू) की परिभाषा एवं मौसम विभाग द्वारा परिभाषित सम्बन्धित मानदण्ड:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्गीकृत करता है, जब तापमान सामान्य से 4.5–6.4 डिग्री ज्यादा हो। मैदानी क्षेत्रों के लिये गर्म हवाएँ/लू की स्थिति तब मानी जाती है, जब अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान 102 डिग्री फारेनहाईट बुखार होने जैसा होता है। उस दौरान शरीर की रोधक क्षमता टूटने लगती है और मानव जीवन अत्यन्त ही संवदेनशील (Vulnerable) हो जाता है। गर्म हवाऍ/लू एक वायुमण्डलीय स्थिति है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं में तनाव उत्पन्न होता है, जो कभी–कभी जान लेवा हो सकता है। गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों अथवा उससे अधिक दिनों तक सामान्य तापमान 3 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहता हो।

विश्व मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा गर्म हवाएँ/लू को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जब लगातार 5 या उससे अधिक दिनों तक दैनिक अधिकतम तापमान सामान्य औसत तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो। यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान लगातार दो दिनों तक 45 डिग्री सेल्सियस रहता हो, तो उसे गर्म हवाएँ/लू की स्थिति कही जायेगी।

संबंधित मानदण्डः– मैदानी क्षेत्रों में यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक। पहाड़ी क्षेत्रों में कम–से–कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो गर्म हवाएँ/लू की स्थिति मानी जाती है।

- **सामान्य तापमान पर आधारित**

  क. गर्म हवाएँ– सामान्य से 4.5 डिग्री से0ग्रे0 से 6.4 डिग्री से0ग्रे0 से अधिक होने पर,

  ख. गंभीर/प्रचण्ड गर्म हवाएँ– यदि सामान्य से 6.4 डिग्री से0ग्रे0 से अधिक होने पर,

- **वास्तविक अधिकतम तापमान पर आधारित**

  क. गर्म हवाएँ– जब वास्तविक अधिकतम तापमान झ 45 डिग्री से0ग्रे0 हो।

  ख. गंभीर/प्रचण्ड हवाएँ– जब वास्तविक अधिकतम तापमान झ 47 डिग्री से0ग्रे0 हो।

लू के सांकेतिक रंग –

भारत मौसम विज्ञान (आईएमडी0) द्वारा निर्धारित सीमा पर आधारित रंग संकेत प्रणाली चेतावनी के बाद जारी किया जायेगा।

रेड एलर्ट (गंभीर)	अत्यन्त गंभीर लू की चेतावनी	सामान्य अधिकतम तापमान 6° से अधिक तक बढ़ जाता है।
औरेंज एलर्ट (मध्यम)	लू की चेतावनी	सामान्य अधिकतक तापमान 4° से 5° डिग्री सी बढ़ जाता है।
पीला एलर्ट (संकेत)	गरम दिन	निकटम सामान्य अधिकतम तापमान
सफेद (सामान्य)	सामान्य दिन	सामान्य अधिकतम तापमान के नीचे

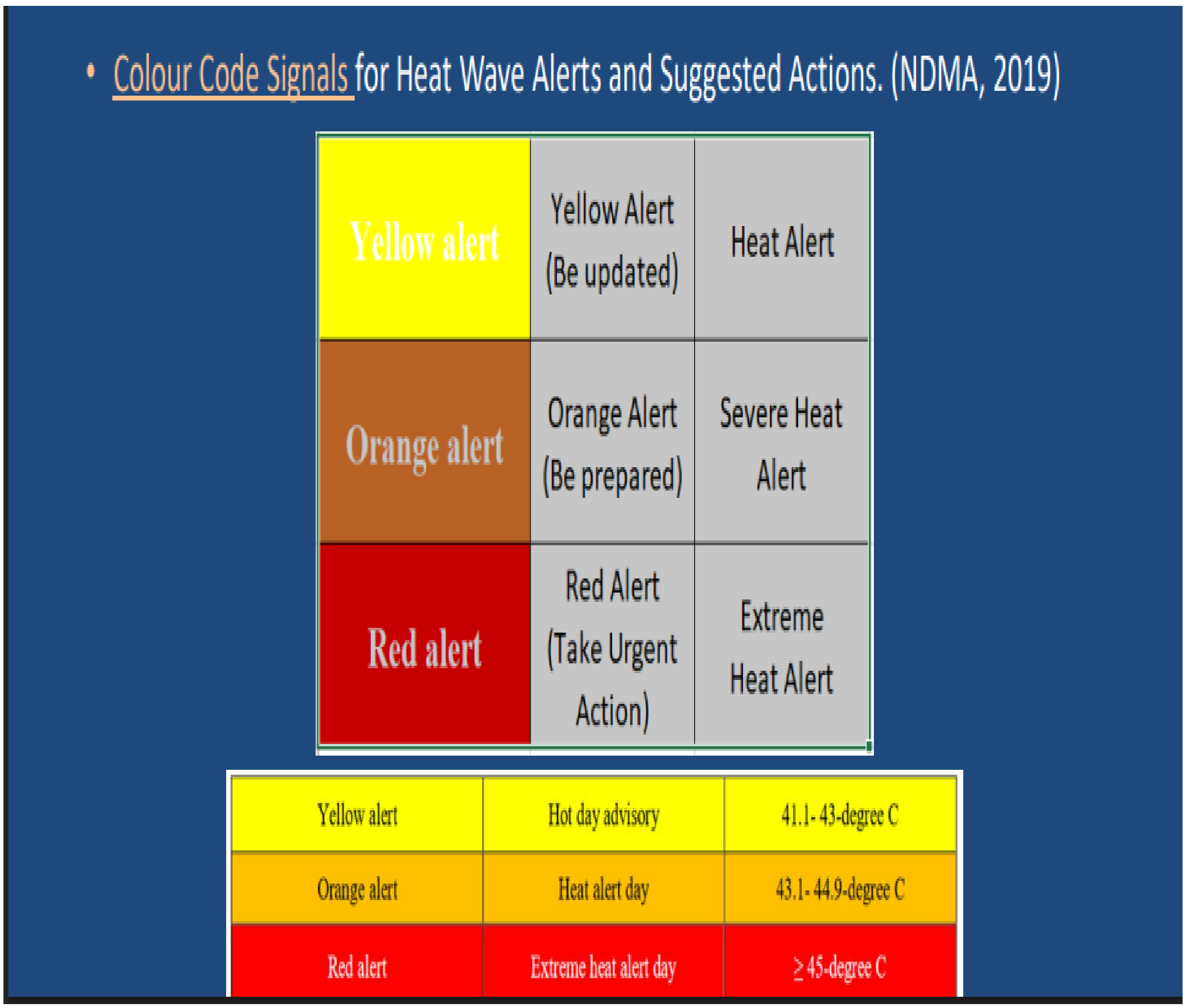

• Colour Code Signals for Heat Wave Alerts and Suggested Actions. (NDMA, 2019)

Yellow alert	Yellow Alert (Be updated)	Heat Alert
Orange alert	Orange Alert (Be prepared)	Severe Heat Alert
Red alert	Red Alert (Take Urgent Action)	Extreme Heat Alert

Yellow alert	Hot day advisory	41.1-43-degree C
Orange alert	Heat alert day	43.1-44.9-degree C
Red alert	Extreme heat alert day	≥ 45-degree C

लू का स्वास्थ पर प्रभाव और संबंधित प्राथमिक चिकित्सा–लू/तपन से पीड़ित व्यक्ति के सिर पर बर्फ मिलाकर ठण्डे पानी से निरंतर पटट्ी करें, उसे ठण्डे स्थान पर आराम कराये, लगातार ठण्डा पेयजल, दही, छाछ आदि पिलाते रहें। लू से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण एवं उपचार हेतु अस्पताल लेकर जाए।

1.4 विभिन्न क्षेत्रों पर हीटवेव (लू) का प्रभाव

- गर्मियों के दिनों में सामान्य तापमान से अधिक तापमान होने मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, जैसे लोगों को तपन, बुखार एवं डायरिया आदि बीमारी हो जाती है। हीटवेव ने मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश की हैं और स्वास्थ्य पर नाकारात्मक प्रभाव डालते हुए आपात स्थिति पैदा कर दी है।
- फसल पैदावार एवं उत्पादन पर भी अधिक तापमान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अधिक तापमान का निरंतर बने रहना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए कामकाजी दिनों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। हीटवेव का इन श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
- पशुओं के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव।

1.5 विगत 05 वर्षो में सर्वाधिक तापमान तथा हीटवेव लू दिवस की संख्या

1- अधिकतम तापमान:

Maximum Temperature Recorded- (2021-2024)

	2024	2023	2022	2021
Station	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum
Lucknow	46.0	43.2	45.1	41.9
Barabanki	46.0	43.5	41.8	40.0
Hardoi	45.0	43.5	43.0	40.2
Kanpur(IAF)	**48.4**	45.0	46.3	42.7
Kanpur(City)	46.8	43.0	44.0	42.2
L. Kheri	45.1	42.0	42.0	42.2
Gorakhpur	44.0	43.7	42.4	41.0
Varanasi AP	**47.8**	44.5	45.2	43.4
Varanasi BHU	47.2	43.6	45.0	43.6
Ballia	44.0	43.5	41.5	41.4
Churk	47.0	44.2	45.0	43.5
Bahraich	45.4	42.0	41.4	41.0
Prayagraj	**48.8**	45.7	46.8	44.3
Fatehpur	47.2	NA	NA	NA
Banda	44.8	44.6	47.7	45.2
Sultanpur	47.0	43.6	44.4	43.0
Ayodhya	45.0	43.5	42.5	41.0
Fursatganj	47.2	44.5	45.4	42.8
Ghazipur	NA	NA	NA	NA
Fatehgarh	45.1	43.9	43.8	42.4
Basti	45.0	44.0	43.0	43.0
Jhansi	**49.0**	46.5	46.2	44.9
Orai	47.4	43.6	46.1	NA
Hamirpur	**48.2**	44.5	44.2	42.2
Bareilly Ob	45.3	41.8	41.2	41.5
Shahajhanpur	43.5	41.5	42.4	41.5

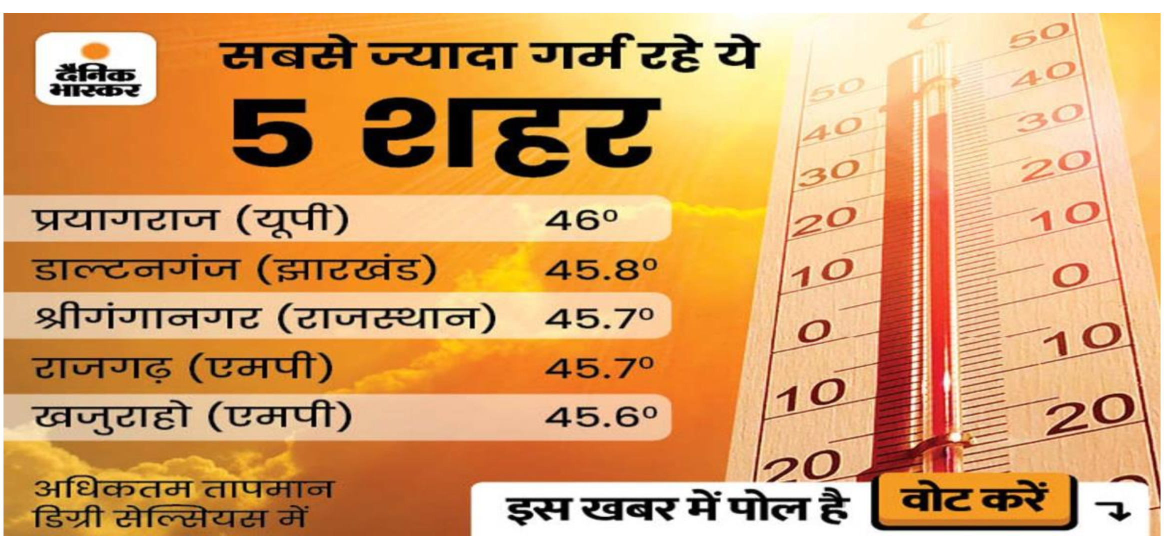

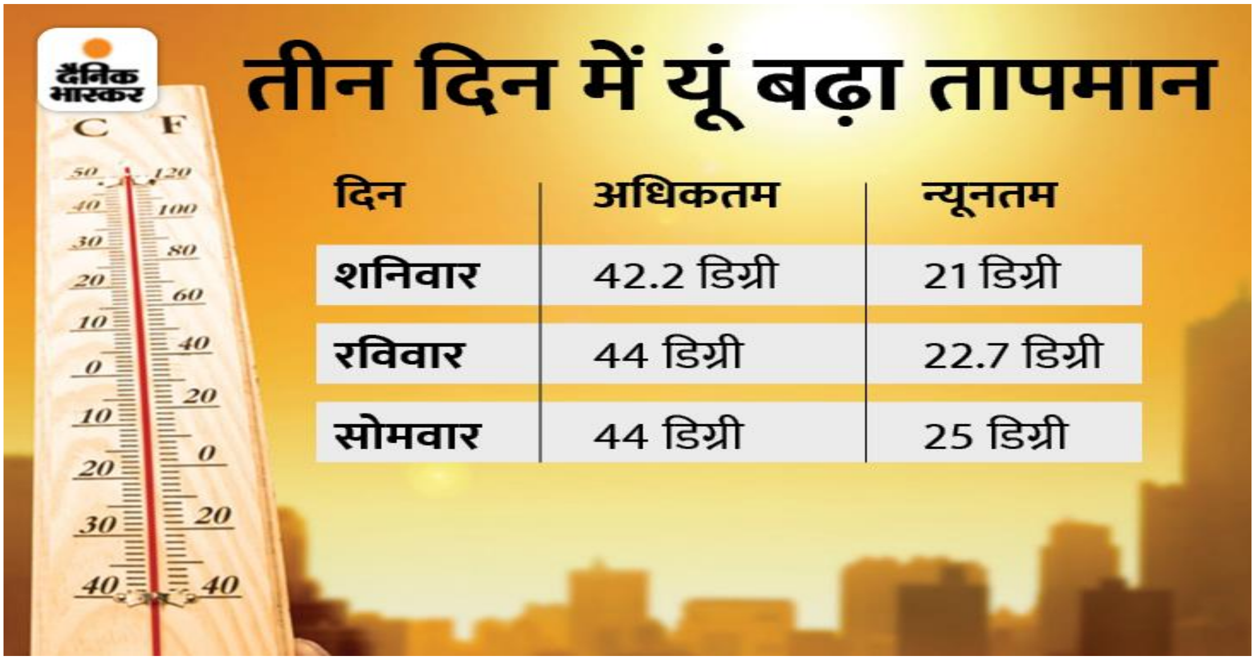

तीन दिन में यूं बढ़ा तापमान

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शनिवार	42.2 डिग्री	21 डिग्री
रविवार	44 डिग्री	22.7 डिग्री
सोमवार	44 डिग्री	25 डिग्री

2- Heat Wave Days (2021-2024)

Heat Wave Days (2021-2024)

Station	2021	2022	2023	2024
Lucknow	1	11	0	12
Barabanki	1	17	5	11
Hardoi	2	4	0	14
Kanpur(IAF)	NA	NA	NA	23
Kanpur(City)	4	10	3	19
L.Kheri	2	7	3	6
Gorakhpur	0	0	12	17
Varanasi AP	1	21	6	14
Varanasi BHU	1	24	4	13
Ballia	0	4	8	9
Churk	1	20	7	11
Bahraich	0	1	3	23
Prayagraj	2	42	14	22
Fatehpur	0	6	0	9
Banda	6	27	2	1
Sultanpur	0	15	0	15
Ayodhya	NA	NA	NA	2
Fursatganj		9	2	14
Ghazipur	0	0	0	0
Fatehgarh	8	27	0	4
Basti	NA	NA	NA	12
Jhansi	12	35	10	25
Orai	0	21	0	23
Hamirpur	1	10	0	22
Bareilly Ob	0	2	0	10
Shahajhanpur	1	18	1	9
Najibabad	6	0	0	10
Moradabad	NA	NA	NA	13
Muzaffarnagar	0	3	0	11
Meerut	2	12	0	14
Etawah	0	1	0	5
Agra Taj	9	36	10	23
Aligarh	2	14	0	13
Bulandsahar	NA	NA	NA	7
Total	**62**	**397**	**90**	**436**

3. Threshold determined

SL NO	District	Heat Threshold		
		Yellow Alert	Orange Alert	Red Alert
26	FARRUKHABAD	40.01	42.59	44.75
27	FATEHPUR	40.37	43.03	45.10
28	FIROZABAD	40.50	43.05	45.15
29	GAUTAM BUDH NAGAR	39.96	42.40	44.69
30	GAZIPUR	39.71	42.31	44.48
31	GHAZIABAD	39.55	42.11	44.48
32	GONDA	39.36	41.82	43.94
33	GORAKHPUR	39.38	41.85	44.08
34	HAMIRPUR	40.51	43.21	45.27
35	HAPUR	39.33	42.00	44.33
36	HARDOI	39.73	42.35	44.49
37	HATHRAS	40.30	42.87	45.05
38	JALAUN	40.55	43.23	45.34
39	JAUNPUR	39.98	42.58	44.71
40	JHANSI	40.40	43.05	45.14
41	KANNAUJ	40.10	42.63	44.74
42	KANPUR	40.51	43.21	45.27
43	KANPUR DEHAT	40.26	42.86	44.96
44	KASGANJ	39.65	42.29	44.50
45	KAUSHAMBI	40.52	43.23	45.24
46	LAKHIMPUR KHERI	39.30	41.87	44.11
47	KUSHINAGAR	38.75	41.08	43.30
48	LALITPUR	39.07	41.66	43.80
49	LUCKNOW	39.94	42.55	44.65
50	MAHARAJGANJ	38.49	40.84	43.05

2- हीटवेव (लू) प्रबंधन कार्ययोजना का सूत्रण/ आवश्यकता

जनपद स्तर पर जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वर्ष हीट वेव कार्य योजना तैयार किया जाता है। जिसमें जनपद के सम्बंधित विभागों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां भी शामिल रहती हैं।

2.2 हीटवेव (लू) प्रबन्धन कार्ययोजना का उद्देश्य

1 लू (हीट–वेव) के प्रति संवेदनशील क्षेत्र की पहचान।
2 लू (हीट–वेव) से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करना।
3 हितधारको की भूमिकाये एवं जिम्मेदारियॉ।
4 स्वास्थ्य जोखिमों के समाधान के लिए एजेन्सियों का समन्वय।
5 लू (हीट–वेव) की घटना से पूर्व चेतावनी/अलर्ट।
6 प्रलेखन रिपोर्टिंग।

2.3 जनपद में लू के प्रति जोखिम का आंकलन (कमजोर वर्ग एवं क्षेत्र की पहचान करना)

जनपद में सामान्य अधिकतम तापमान में वृद्धि के कारण ग्रीष्मकाल में लू (हीट–वेव) का प्रकोप देखा जाता है। प्रायः मानसून के आगमन से पूर्व अधिकतम तापमान में माह जून तक वृद्धि होती है कभी– कभी माह जुलाई में भी अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। हाल ही के वर्षो में भारत में लू (हीट–वेव) के कारण हताहतो की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लू (हीट–वेव) की तीव्रता भारत में प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है। जनपद फतेहपुर में लू (हीट–वेव) के कारण जनहानि, पशुहानि संख्या शून्य है।

2.4 हीटवेव (लू) कार्ययोजना की प्रमुख रणनीतियाँ

✓ पूर्व चेतावनी तंत्र एवं एजेन्सियों के मध्य समन्वय स्थापित करना जिससे सम्बन्धित विभागो को निदेर्शित किया जा सके, जिससे जनसामान्य को सचेत व जागरूक किया जा सकें।

✓ लू (हीट–वेव) के दौरान इससे सम्बन्धित बीमारियों की पहचान एवं उचित प्रतिक्रिया हेतु सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों, पैरा मेडिकल स्टाफ व सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारियों की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाना जिससे हीटवेव पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावी चिकित्सा सहायता प्राप्त हो सकें।

✓ प्रिन्ट इलेक्ट्रानिक, सोशल मीडिया एव आई0ई0सी0 मेटेरियल जैसे–पर्चे, पोस्टर विज्ञापन आदि के माध्यम से हीटवेव की स्थिति में क्या करे क्या न करे के सम्बन्ध में जन–जागरूकता में वृद्धि करना ।

2.5 हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र–

❖ पूर्व चेतावनी प्रणाली तंत्र स्थापित करना एवं संस्थाओं का आपसी समन्वय जिससे अत्यधिक तापमान पूर्व चेतावनी की सूचना निवासियों को दी जा सके।

❖ क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम–चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर गर्मी से उत्पन्न बीमारियों को पहचानने एवं उसका इलाज करने सम्बन्धी प्रशिक्षण/जानकारियां देकर बीमारियों में कमी एवं मृत्यु दर को कम किया जा सके।

- ❖ मेडिकल ऑफिसर
- ❖ पैरामेडिकल स्टॉफ
- ❖ सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी
- ❖ गैर सरकारी संस्थाएं

जन जागरूकता एवं समुदाय को आगे बढ़ाना–

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोषल मीडिया, आई0ई0सी0 सामग्रियां जैसे– पैम्पलेट, पोस्टर, विज्ञापन, टेलीविजन के माध्यम से इलाज के उपाय, बीमारी से रोकथाम, गर्म हवा से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाना

गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहभागिता–

गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसायटी के साथ सहभागिता कर बस स्टैण्ड एवं जहां आवष्यक हो वहां अस्थायी षेल्टर का निर्माण, क्षेत्रों में पानी आपूर्ति का कार्य जिससे लू–प्रकोप से उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सके।

लू–प्रकोप अवस्था आने के पूर्व की योजनाः–

- ❖ गर्म हवा से षहर एवं गांवों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की सूची तैयार करना।
- ❖ शहर एवं गांवों में होर्डिंग, स्क्रिन, ब्लैक बोर्ड की संख्या बढ़ाना जिसमें तापमान का पूर्वानुमान लोगों की जानकारियां हेतु प्रदर्षित किया जा सके।
- ❖ क्षमता संवर्धन/प्रषिक्षण कार्यक्रम आयोजन करना। जिसमे अस्पताल कर्मी, विद्यालय, आंगनवाड़ी सेविका, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संस्थाएं, समुदाय के प्रधान आदि को षामिल करना।
- ❖ अस्पतालों में गर्म हवा के प्रकोपों के इलाज हेतु सामग्रीयों का स्टॉक तैयार रखना/एम्बुलेंस आदि की संख्या बढ़ाना।

हीटवेव पूर्व चेतावनी प्रसार तंत्र

I.M.D. से प्राप्त हीट वेव के पूर्वानुमान के आधार पर चेतावनी देना एवं सूचना प्रदर्शित करना। समुदाय के बीच गर्मी की चेतावनी प्रचार प्रसार हेतु एस0एम0एस0, वाहट्सप, टी0वी0, रेडियो, विद्यालय, ब्लैक बोर्ड, पंचायत के नोटिस बोर्ड आदि के माध्यम से चेतावनी का प्रचार प्रसार करना। जनपद की हीटवेव सूचना प्रचार–प्रसार तंत्र–

State Level
- राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ
- उ0 प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ

District Level
- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, फतेहपुर।
- जिला प्रशासन, फतेहपुर।

Tahsil Level
- 3 तहसील कार्यालय
- 13 खण्ड विकास कार्यालय
- 02 नगर पालिका परिषद् व 08 नगर पंचायत।

Community Level
- 840 ग्राम पंचायत
- 1521 गांव

- जनपद फतेहपुर में हीटवेव से सम्बन्धित जिला आपदा प्रबन्धन कार्यालय कलेक्ट्रेट फतेहपुर में 24x7 कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका सम्पर्क नम्बर 05180–298632 व वाट्सअप नम्बर–9454417876, ईमेल–ddmafatehpur@gmail.com, Whatsapp group-Heat wave and fire control Fat 2025-26 जिसके माध्यम से तहसील/ब्लाक/ग्राम स्तर पर सूचना का आदन प्रदान किया जाता है और तहसील ब्लाक स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना किये जाने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

13:07 61%

Heat wave and Fire control FAT 20...
A D, BABU, Cashier Or Manager, DC N...

Forwarded

कसराव प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्याक, ग्राम प्रधान और IAG Chairperson फतेहपुर के संयुक्त प्रयास से लू एवं अग्निकांड से बचाव हेतु जन जगरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें school के छात्र और छात्राएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहूएवं ग्रामीणों ने प्रतिभाग किया।

14:54

Forwarded

impact 05.04.2025.pdf

6 pages • 2.2 MB • PDF

15:20

You

impact 05.04.2025.pdf (6 pages)

हीट वेव पूर्वानुमान

15:20

Message

3- विभिन्न विभागों/एजेन्सियों के चरणवार उत्तरदायित्व एवं विभागीय कार्ययोजना

1. स्वास्थ्य विभाग

पूर्व तैयारियॉं				रिस्पांस		
क्र0 स0	गतिविधियॉं	विभाग/एजेंसी/जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0 स0	गतिविधियॉं	विभाग/एजेंसी/जि0 अधि0
1	स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत् कर्मिकों एवं स्टाफ को गर्म हवाएँ/लू से जनित बीमारियों के संबंध में संवेदीकरण तथा क्षमता निर्माण, यथा–लू संबंधी चिकित्सीय स्थितियॉं, लक्षण तथा प्रबन्धन।	जिला स्वास्थ्य समिति, जिला रेड क्रास सोसायटी, एन0जी0ओ0 एवं आई0एन0जी0ओ0	प्रत्येक वर्ष माह फरवरी से मार्च के मध्य	1	लू जनित बीमारियों से निपटने के लिये जिला अस्पताल एवं प्रत्येक स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक दवाईयों आयरन फोलिक एसिड टैबलेट एवं ओ0आर0एस0, आशा एवं ए0एन0एम0 किट का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मुख्य चिकित्साधिकारी/सा0 स्वा0 केन्द्र के अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र।
				2	सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	
2	लू जनित बिमारियों के उपचार के लिये जीवन रक्षक दवाईयों, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, पैरासिटामॉल, आई. वी. फ्लूड एवं ओ0आर0एस0 आदि पर्याप्त मात्रा में भण्डारण एवं आपूर्ति।	जिला स्वास्थ्य समिति, जिला रेड क्रास सोसायटी, एन0जी0ओ0 एवं आई0एन0जी0ओ0	प्रत्येक वर्ष जनवरी से फरवरी तक	3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों तथा निजी अस्पतालों आवश्यतानुसार गर्म हवाएँ/लू की अवधि के दौरान हीट स्ट्रोक से प्रभावित रोगियों के लिये अतिरिक्त बेड/पृथक वार्ड का चिन्हीकरण सुनिश्चित करना।	मुख्य चिकित्साधिकारी/सा0 स्वा0 केन्द्र के अधीक्षक एवं एम0ओ0आई0सी0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र।
3	गर्म हवाएँ/लू का रोगी पर प्रभाव न्यून करने के लिये मार्गदर्शिका का अनुपालन सुनिश्चित करना।	जिला स्वास्थ्य समिति, जिला रेड क्रास सोसायटी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	अप्रैल से अक्टूबर तक	4	✓ गर्म हवाएँ/लू से बचाव के लिये सावधानियों के संबंध में आम–जनों को जागरूक करने के लिये समय–समय पर स्वास्थ्य सम्बन्धित एडवायजरी/मार्गदर्शिका का प्रचार–प्रसार। ✓ केस आडिट सुनिश्चित करना। ✓ हीट वेव सम्बन्धित समस्याओं से निपटने हेतु ट्रीटमेण्ट प्रोटोकॉल का पोस्टर जिला मुख्यालय तथा समस्त चिकित्सा ईकाईयों के कोल्ड रूम तथा चिकित्सक कक्ष में प्रदर्शित करना।	जिला स्वास्थ्य समिति, फतेहपुर।

4	हीटवेव रैपिड रिस्पांस टीम का गठन	मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।	मार्च अंतिम सप्ताह तक		✓ समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 04–04 बेड व जिला चिकित्सालय में 06 बेड का कोलरूम स्थापित करना।	
5	लू से बचाव हेतु कंट्रोल रूम को सक्रिय करना–जिला मुख्यालय पर मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन लू/हीट वे नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया गया है, जिसका दूरभाष नम्बर– 05180 221410 व नोडल अधिकारी डा0 के0 के0 सिंह, मो0 नं0–9336695992	मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।	मार्च द्वितीय सप्ताह तक	6	माह मार्च से अक्टूबर तक समस्त अस्पतालों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिये ऊर्जा/बिजली विभाग से समन्वय करना।	प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, फतेहपुर/मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर/ अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम, द्वितीय व तृतीय।
				7	माह अप्रैल से अक्टूबर तक हीटवेव से प्रभावितों एवं मृतकों की सूचना एन0पी0सी0सी0 एच0एच0 पोर्टल के माध्यम से करने की व्यवस्था है, जिस पर प्रत्येक दिन समस्त ईकाईयों द्वारा सूचना अपलोड कराना	स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर।
			अप्रैल से अक्टूबर तक	8	हीटवेव से हुई मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए मौत के कारणों को स्पष्ट अंकित करना।	स्वास्थ्य विभाग, फतेहपुर।

2.शिक्षा विभाग

पूर्व तैयारियॉ				रिस्पांस		
क्र0 स0	गतिविधियॉ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0 स0	गतिविधियॉ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से हीटवेव से बचाव हेतु प्रार्थना सत्र व क्लास रूम में बच्चों को क्या करें / क्या न करें पर विस्तृत जागरूकता। बच्चों के मध्य उक्त विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। मॉकड्रिल का आयोजन।	शिक्षा विभाग, फतेहपुर।	प्रत्येक वर्ष 15 मार्च से मई तक	1	✓ गर्म हवाएँ / लू के स्थितियों के संबंध में जारी एलर्ट / चेतावनी को दृष्टिगत रखते हुए गर्मी के मौसम में आवश्यकतानुसार कक्षाओं के समय में परिवर्तन। ✓ स्कूलों में बच्चों को आउट डोर शारीरिक क्रिया कलापों को कराने पर रोक।	शिक्षा विभाग, फतेहपुर।
				2	सभी स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	जल निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत, ग्राम पंचायत।
2	सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में खराब हैण्डपंप / जलापूर्ति स्रोतों का मरम्मतीकरण	शिक्षा विभाग, जल निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत एवं निजी स्कूल की स्कूल प्रबन्धन कमेटी।	प्रत्येक वर्ष फरवरी से मार्च तक	3	माह अप्रैल से जून के मध्य विद्यालयों के परीक्षा केन्द्रों पर हवा व ठण्डा पेयजल तथा ओ0आर0एस0 की समुचित व्यवस्था।	शिक्षा / स्वास्थ्य विभाग एवं निजी स्कूल की स्कूल प्रबन्धन कमेटी।
3	गर्म हवाएँ / लू को दृष्टिगत रखते हुए सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में फस्ट एड् बाक्स का प्रबन्धन तथा उसके उपयोग हेतु स्कूल के चयनित बालक एवं बालिकाओं को प्रशिक्षित करना। कक्षों में पंखे, ओ.आर. एस. आइस पैक एवं ठण्डे पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	शिक्षा विभाग, फतेहपुर।	प्रत्येक वर्ष माह मार्च से जून तक	4	माह मार्च से स्कूल खुले रहने की तिथि के दौरान तक गर्मी के मौसम में बच्चों को गर्म हवाएँ / लू से निपटने के लिए परम्परागत तरीकों को बच्चों के बीच प्रोत्साहित करना।	शिक्षा / स्वास्थ्य विभाग एवं निजी स्कूल की स्कूल प्रबन्धन कमेटी।

3. उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी व ग्रामीण)

पूर्व तैयारियॉं				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	गर्मीयों में जल संकट को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जल की कमी का आकलन।	स्थानीय निकाय व उ0 प्र0 जल निगम (शहरी व ग्रामीण)	मार्च से 15 अप्रैल के मध्य	1.	जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पीने एवं अन्य उपयोग के लिये जलापूर्ति।	स्थानीय निकाय / उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी व ग्रामीण)
2	जल संकट वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से खराब हैण्डपम्प एवं अन्य जलापूर्ति स्रोतों का मरम्मतीकरण।	स्थानीय निकाय / उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी व ग्रामीण) / पंचायतीराज विभाग	मार्च से 15 अप्रैल के मध्य	2.	भू–गर्भ जल के स्तर में उतार–चढ़ाव को मापने हेतु निरंतर निगरानी रखना।	उत्तर प्रदेश जल निगम (शहरी व ग्रामीण) समन्वय भू–गर्भ जल विभाग।
3	समुदाय के बीच जल संरक्षण तथा भू–गर्भ जल के पुर्नभरण के लिये जन–जागरूकता।	जल निगम / पंचायती राज संस्थान / स्थानीय शहरी निकाय / जिला जल एवं स्वच्छता समिति / एन0जी0ओ0 / आई0एन0जी0ओ0	वर्ष के प्रत्येक माह मार्च से माह अक्टूबर तक	3.	जल संकट से उबरने हेतु माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जल संकट नियंत्रण कक्ष की स्थापना व गर्मी के मौसम के दौरान प्राप्त शिकायतों का नियमित अनुश्रवण तथा उनका निस्तारण।	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं तहसील प्रशासन / जल निगम / स्थानीय शहरी निकाय
4	प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला एवं तहसील स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना।	जल निगम / स्थानीय शहरी निकाय / भू–गर्भ जल विभाग / जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं तहसील प्रशासन	वर्ष के प्रत्येक माह मार्च से माह अक्टूबर तक			

4. ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग

पूर्व तैयारियाँ				रिस्पांस		
क्र0 स0	गतिविधियाँ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0 स0	गतिविधियाँ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	जल निकायों का मनरेगा के माध्यम से जीर्णोद्वार एवं गहरीकरण करना।	उपायुक्त मनरेगा / / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान	माह मार्च से अप्रैल तक	1.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक मनरेगा के कार्यस्थलों पर पेयजल, छाया, ओ0आर0एस0 एवं विश्राम स्थल मुहैया कराना।	उपायुक्त मनरेगा / / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान
2	मनरेगा के श्रमिकों के लिये मनरेगा के कार्य स्थल पर विश्राम, ओ. आर.एस. व पेयजल की समुचित व्यवस्था करना	उपायुक्त मनरेगा / / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान	माह अप्रैल से अक्टूबर तक			
3	मनरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण तथा जल पुनर्भरण से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन	उपायुक्त मनरेगा / / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान	माह अप्रैल से अक्टूबर तक	2.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक मनरेगा के कार्य स्थल पर समय अवधि में परिवर्तन (गर्मी के मौसम तथा गर्म हवाएँ / लू की स्थिति में 11:30 पूर्वा0 से 03:30 अप0 तक कार्य रोक देना) कार्य सुबह प्रारम्भ कर तथा 3:30 अप0 के पश्चात कुल निर्धारित कार्य अवधि तक किया जा सकता है।	उपायुक्त मनरेगा / / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान
4	ग्राम पंचायतों में लू के दुष्प्रभाव एवं इससे बचाव हेतु बैठकें एवं **"क्या करें व क्या न करें"** विषय पर जनजागरूकता व आपदा कंट्रोल रूम नम्बर 05180 298632 का प्रचार–प्रसार	उपायुक्त मनरेगा / / जिला पंचायतीराज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान	माह अप्रैल से अक्टूबर तक	3.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक लू से प्रभावित होने के लक्षण दिखने पर आशा व ए.एन.एम. के माध्यम से प्राथमिक उपचार व सूचना का सम्प्रेषण	उपायुक्त मनरेगा / / जिला पंचायतीराज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान
5	रिबोर योग्य हैण्डपम्पों का चिन्हीकरण कर त्वरित मरम्मत किया जाता है।	जिला पंचायतीराज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान		4	ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से जनजागरूकता व ग्रामीण को लू में बाहर निकलने के संबंध में जागरूक करना।	उपायुक्त मनरेगा / / जिला पंचायतीराज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान
				5	चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल / निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था ग्राम पंचायत के माध्यम से करना	उपायुक्त मनरेगा / / जिला पंचायतीराज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान
				6	बोरिंग पम्प / नहर से ग्राम पंचायत के छोटे–बड़े तालाबों / पोखरों में पानी कम होने पर पुनः पानी का भराया जाना	उपायुक्त मनरेगा / / जिला पंचायतीराज अधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी / ग्राम प्रधान

5. पशु पालन विभाग

पूर्व तैयारियॉ				रिस्पांस		
क्र0 स0	गतिविधियॉ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0 स0	गतिविधियॉ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	पशुओं को पीने हेतु स्वच्छ जल पिलाने हेतु जागरूकता जैसे प्रत्येक बड़े पशु को पीने हेतु प्रतिदिन 50 से 60 लीटर स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है जिसको दिन में कई बार पूर्ति करना चाहिए।	पशु पालन विभाग / ग्राम प्रधान	माह मार्च से अक्टूबर तक	1	अगर पशुओं में लू का प्रकोप हो जाता है तो उनकी आंखों में लालिमा हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, पशु मुँह फाड़कर सांस लेता है। शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पशु चारा खाना छोड़ देता है। उपरोक्त लक्षण पशु में लू लगने के लक्षण होते हैं। इस अवस्था में पशु मालिकों को शीध्र ही निकटम पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क कर समुचित इलाज कराना चाहिए एवं पशुओं के शरीर को ठण्डे जल से छिड़कांव (नहलाना) करना चाहिए, पशुओं को ग्लूकोज, नारमल सैलाइन आदि फ्लूड थिरेपी साथ ही मल्टी विटामिन उपचार किया जाना चाहिए।	पशु पालन विभाग / ग्राम प्रधान
2	पशुओं के लिये समुचित छायादार व्यवस्था न होने की दशा में उनके शरीर को जूट की बोरी डालकर बोरी को थोड़ी–थोड़ी देर में पानी से डूबोते रहने हेतु जागरूकता। यह प्रकिया महिषवंशीय एवं क्रास ब्रेड पशुओं के लिए आवश्यक रूप से करने हेतु पशुपालकों को निर्देशित किया गया।	पशु पालन विभाग / पंचायती राज विभाग	माह मार्च से अक्टूबर तक	2	पशु स्वास्थ्य की निगरानी एवं पशुधन को प्रभावित करने वाली गर्मी से संबंधित बीमारी के उपचार के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना।	पशु पालन विभाग
				3	स्थानीय पशु चिकित्सा क्लीनिकों के माध्यम से रेफरल / अनुवर्ती सीमाएं प्रदान करना।	पशु पालन विभाग
3	पशुओं के लिए समुचित पौष्टिक आहार की व्यवस्था जिसमें हरा चरा भली भांति सिंचित नम भूमि से लिया जाना चाहिए कम नमी वाली भूमि से उत्पादित बाजरा एवं ज्वार से हाइड्रोसायनिक एसिड जहर होने की सम्भावना रहती है। अतः अन्य तरह के हरे चारे जैसे–लोबिया,	पशु पालन विभाग / पंचायती राज विभाग	माह मार्च से अक्टूबर तक	4	अत्यधिक गर्मी के दिनों में पशु पालकों को पशुपालक गोष्ठी के माध्यम से जागरूक करना कि वो पशुओं को छायादार स्थान में रखें तथा पशुओं को मौसम के अनुसार बढ़ते घटते तापमान के अनुरूप ही उनको रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। पशुओं को एसबेस्टर शेड की छाया में बांधें।	पशु पालन विभाग / पंचायती राज संस्थान / मनरेगा

	मक्का, ग्वार, सूडान आदि का प्रयोग।					
4	बड़े पषुओं को प्रतिदिन 25 से 40 ग्राम नमक एवं 30 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर अवश्य देना चाहिए। नया भूसा अगर खिलाना हो तो उसे नमक पानी के घोल में 1 घण्टे भिगोकर खिलाना चाहिए।	पशु पालन विभाग / पंचायती राज विभाग	माह मार्च से अक्टूरबर तक			
5	रैपिड एक्शन टीम का गठन–जनपद के समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों एवं समस्त पशु चिकित्साधिकारी अपने–अपने पशु चिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत ग्रामों में आकस्मिक अग्निकाण्ड / चरी विषाक्तता जैसी परिस्थितियों पर नियंत्रण हेतु रैपिड एक्शन टीम के प्रभारी होंगे।	पशु पालन विभाग	माह मार्च तक			
6	समस्त ग्रामों में पशुओं हेतु पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु तालाब भराने का प्रयास किया जाये। ग्राम भ्रमण के दौरान हैण्डपाइप की स्थिति से प्रशासन को अवगत कराया जाये एवं ग्राम प्रधान से सामंजस्य बनाते हुए खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जाए।	पशु पालन विभाग / पंचायतीराज व ग्राम्य विकास विभाग	माह अप्रैल तक			
7	भूसे की स्थिति / उपलब्धता का आंकलन पशु संख्या के आधार पर पर कर लिया जाये। भूसे की कमी की दशा में समय से विभागाध्यक्ष को अवगत कराया जाय। क्षेत्र के भूसे के व्यापारियों के नाम, फोन नं0, तथा उपलब्धता की मात्रा की सूचना का एकत्रीकरण।	पशु पालन विभाग	माह अप्रैल तक			
8	चारा बैंक की स्थापना हेतु पर्याप्त भण्डारण क्षमता	पशु पालन विभाग	माह अप्रैल तक			

	वाले भवनों को चिन्हित कर लिया गया है।					
9	पशु सुरक्षा / संरक्षण शिविरों हेतु आयोजन स्थलों का ग्राम प्रधान, खण्ड विकास अधिकारी की सहमति से चयन कर लिया जाए।	पशु पालन विभाग	माह अप्रैल तक			
10	जनपद में 35 पशु चिकित्सालयों एवं 37 पशु सेवा केन्द्रों के माध्यम से पशु चिकित्सा की जाती है। हीटवेव की स्थिति में इन केन्द्रों को और सक्रिय कर पशुपालकों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाए।	पशु पालन विभाग	माह अप्रैल तक			
11	विभाग द्वारा संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं में निःशुल्क टीकाकरण।	पशु पालन विभाग	माह अप्रैल तक			
12	कन्ट्रोल रूम की स्थापना—डा0 पंकज पाण्डेय, उप मुख्य चिकित्साधिकारी सदर होंगे, जिनका मोबाइल नम्बर—9450380484	पशु पालन विभाग	माह अप्रैल तक			

6. अग्निशमन विभाग

पूर्व तैयारियॉं				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0 स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0अधि0
1	क–फायर हॉट स्पॉट का चिन्हीकरण। ख–चिन्हित वालेंटियर्स का अग्निकाण्ड दुर्घटना के रोकथाम एवं बचाव पर प्रशिक्षण व माकड्रिल।	अग्निशमन विभाग / जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	माह मार्च से जून तक	1	ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में मॉक–ड्रील का आयोजन।	अग्निशमन विभाग / जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
2	अग्निकाण्ड के रिस्पांस के प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधनों की खरीददारी, अग्निशामक यंत्रों की रिफिलिंग व संसाधनों का मरमत्तीकरण।	अग्निशमन विभाग	माह मार्च से जून तक	2.	चिन्हित फायर हॉट स्पॉट एरिया में आगजनी के रोकथाम एवं बचाव पर जन–जागरूकता अभियान का आयोजन।	अग्निशमन विभाग / जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
3	अग्निकाण्ड की घटनाओं के संबंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन–जागरूकता अभियान।	अग्निशमन विभाग / जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	माह मार्च से जून तक	3.	जनपद स्तरीय हिभागियों के साथ समन्वय स्थापित करना।	अग्निशमन विभाग / जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
4	आवश्यकतानुसार सरकारी एवं निजी भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट	अग्निशमन विभाग	माह मार्च से 15 अप्रैल तक			

क–अग्निकाण्ड/लू से बचाव हेतु विभाग के पास उपलब्ध मानव संसाधनों का विवरण

क्र0सं0	पद	स्वीकृत नियतन	रिक्त	अतिरिक्त	उपलब्ध
1	मुख्य अग्निशमन अधिकारी	01	0	–	01
2	अग्निशमन अधिकारी	03	03	–	–
3	अग्निशमन द्वितीय	04	02	–	02
4	लीडिंग फायरमैन	07	03	–	04
5	फायन सर्विस चालक	07	02	–	05
6	फायर मैन	53	21	–	32

ख–अग्निकाण्ड/लू से बचाव हेतु विभाग के पास फायर सर्विस जनपद फतेहपुर में उपलब्ध* MFE/Foam Tender/ Small vehicles/ Pump/ Machiene etc. *का विवरण

क्र0सं0	पद	सदर	खागा	बिन्दकी	कुल योग
1	मोटर फायर इंजन टाइप ''बी'' बड़ा	02	01	–	03
2	मोटर फायर इंजन टाइप ''बी'' छोटा	–	–	01	01
3	Fire quick Response vehicle (700 Liter)	01	–	–	01
4	High Pressure water Missed 400 Liter	01	–	–	01
5	Boloro Camper	01	–	01	02
6	Bullet Motor cycle	02	01	–	03

7. स्थानीय निकाय

पूर्व तैयारियॉं				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	गर्म हवाएँ / लू से संवेदनशील स्लम क्षेत्रों का चिन्हीकरण।	नगर पालिका / नगर पंचायत / स्थानीय शहरी निकाय / जिला प्रशासन / आदर्श व्यापार मण्डल / धार्मिक संगठन	माह मार्च से अप्रैल तक	1.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक सार्वजनिक अथवा भीड़–भाड़ वाले स्थलों पर लोगों के बीच पेयजल वितरण हेतु प्याउ की व्यवस्था करना।	नगर पालिका / नगर पंचायत / स्थानीय शहरी निकाय / जिला प्रशासन
2	➢ गर्मी के महीनों के दौरान स्थानीय निकायों में 132 चिन्हित स्थलों पर प्याउ की व्यवस्था ➢ 62 वाटर कूलरों को स्थापित करना / क्रियाशील करना ➢ आम आदमियों हेतु शेड / छाया की व्यवस्था		माह मार्च–सितम्बर तक	2.	माह अप्रैल से सितम्बर तक गर्म हवाएँ / लू के एलर्ट के दौरान शीतलीकरण केन्द्रों यथा–मन्दिरों, सार्वजनिक भवनों, मॉल आदि को सक्रिय करना।	
3	मंदिर, मस्जिद, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि का चिन्हीकरण तथा पेयजल, छाया आदि की प्रयुक्त व्यवस्थाएँ करना।		माह मार्च–अक्टूबर तक	3.	माह अप्रैल से सितम्बर तक सभी निर्माण स्थलों / टूरिस्ट प्लेसों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	
4	शहरी नागरिकों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिये अपने घरों में संरचना निर्माण हेतु प्रेरित करना।		वर्ष भर	4.	माह मार्च से अक्टूबर तक जनपद अन्तर्गत स्थापित सिनेमाघरों एवं एल.ई.डी. तथा कूड़ा एकत्रीकरण गाड़ी पर लगाये गये पी.ए. सिस्टम के माध्यम से लू से बचाव पर सघन जन–जागरूकता	नगर पालिका / नगर पंचायत / स्थानीय शहरी निकाय / जिला प्रशासन
5	सड़कों के किनारे तथा रियासी क्षेत्रों में खाली स्थानों पर वृक्षारोपण।		माह अगस्त से अक्टूबर तक			

8. विद्युत विभाग

पूर्व तैयारियाँ				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियाँ	विभाग/एजेंसी/जि0 अधि0	समय–सीमा	□0स0	गतिविधियाँ	विभाग/एजेंसी/जि0 अधि0
1	निर्बाघ विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयंत्रों का मरम्मतीकरण एवं रख–रखाव का कार्य करना।	विद्युत विद्यतरण खण्ड प्रथम/द्वितीय व तृतीय	जनवरी–अप्रैल	1.	➢ जनपद में कही भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने के प्रतिवेदन पर त्वरित रिस्पांस के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ करना। ➢ जनपद में किसी भी प्रकार के फाल्ट के कारण होने वाले विद्युत व्यवधान को न्यूनतम समय में अटेन्ड करना।	विद्युत विद्यतरण खण्ड प्रथम/द्वितीय व तृतीय
2	ढ़ीले एवं लटके हुए बिजली के तारों की मरम्मती तथा रख–रखाव।	विद्युत विद्यतरण खण्ड प्रथम/द्वितीय व तृतीय	जनवरी–अप्रैल	2.	माह मार्च से अक्टूबर के मध्य तक टूटे हुए तारों के मरम्मतीकरण/बदलाव हेतु तुरन्त कार्यवाही करना।	विद्युत विद्यतरण खण्ड प्रथम/द्वितीय व तृतीय
				3.	माह मार्च से अक्टूबर के मध्य विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में 24x7 Control Room का संचालन	विद्युत विद्यतरण खण्ड प्रथम/द्वितीय व तृतीय
				4.	ग्रामीण क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रदान करना।	विद्युत विद्यतरण खण्ड प्रथम/द्वितीय व तृतीय

9. पर्यावरण एवं वन विभाग

पूर्व तैयारियॉ				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियॉ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0स0	गतिविधियॉ	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	सड़कों के किनारे तथा उसर भूमि पर वृक्षारोपण के लिए सम्बन्धित जिम्मेदार विभाग से समन्वय।	पर्यावरण एवं वन विभाग / मनरेगा / आर0डब्लू0डी0 / पी0 डब्लू0डी0	फरवरी–जून	1.	माह मार्च से जून तक वाटर होल में टैंकर के माध्यम से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पर्यावरण एवं वन विभाग / स्थानीय शहरी निकाय
2	गर्म हवाएॅ / लू के संबंध में वन्य जीवन तथा जंगल से जुड़े कार्मिकों के बीच जन–जागरूकता।	पर्यावरण एवं वन विभाग	फरवरी–जून			
3	जंगलों एवं वन्यजीव अभयारण्यों में जंगलों की आग के रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय करना।	पर्यावरण एवं वन विभाग	फरवरी–जून			
4	फायर लाईन तथा वाटर होल का रख–रखाव।	पर्यावरण एवं वन विभाग	फरवरी–जून			
5	आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना।	पर्यावरण एवं वन विभाग	फरवरी–जून			
6	रिहाइसी क्षेत्रों के नजदीक विंड ब्रेकर तथा आश्रयदायी वृक्षों का रोपण।	पर्यावरण एवं वन विभाग	वर्षभर			

10. राजस्व विभाग/ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

पूर्व तैयारियॉं				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग	समय–सीमा	क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग
1	जिला स्तर पर गर्म हवाएँ/लू के प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में जन जागरूकता	डीडीएमए/ जिला स्तरीय लाईन विभाग	माह जनवरी से जून तक	1.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक फरियादियों हेतु समस्त तहसील व जिलाधिकारी कार्यालय में ओ.आर.एस. कार्नर की स्थापना	राजस्व विभाग/डीडीएमए/ स्वास्थ्य विभाग
2	गर्म हवाएँ/लू के क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर के हितधारकों एवं लाइन विभागों के साथ समन्वय।	डीडीएम/ राजस्व विभाग	माह जनवरी से जून तक	2.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक गर्म हवाएँ/लू के कार्ययोजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा।	राजस्व विभाग/डीडीएमए/ स्वास्थ्य विभाग
3	प्रभाव व परिणाम के आधर पर नियोजन प्रक्रिया का निरन्तर मूल्यांकन	डीडीएम/ राजस्व विभाग	माह जनवरी से जून तक	3.	माह अप्रैल से अक्टूबर तक गर्म हवाएँ/लू से प्रभावितों के बीच ससमय राहत वितरण सुनिश्चित करवाना।	राजस्व विभाग/डीडीएमए/ स्वास्थ्य विभाग
4	आई.एम.डी. द्वारा प्राप्त सूचनाओं व एडवाइजरी का निरंतर प्रचार–प्रसार तथा समस्त स्तर पर सांझा करना	डीडीएम/ राजस्व विभाग	माह जनवरी से जून तक	4	माह अप्रैल से अक्टूबर तक तहसील व जिलाधिकारी कार्यालयों में आने वाले फरियादियों हेतु छाया व पेयजल की व्यवस्था	राजस्व विभाग/डीडीएमए/ स्वास्थ्य विभाग
5	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के नंबर 05180 298632 व 9454417293 आम जनता के मध्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार	डीडीएम/ राजस्व विभाग	माह माह से अप्रैल तक	5	माह अप्रैल से अक्टूबर तक आई.एम.डी. द्वारा प्राप्त सूचनाओं व एडवाइजरी का निरंतर प्रचार–प्रसार तथा समस्त स्तर पर सांझा करना	राजस्व विभाग/डीडीएमए/ स्वास्थ्य विभाग
6	आटोमेटिक रेनगेज व आटोमेटिक वेदन स्टेशन की निगरानी नियमित रूप से करना तथा सूचनाओं का प्रसारण	डीडीएम/ राजस्व विभाग	प्रत्येक माह			

11. समाज कल्याण व आई.सी.डी.एस.

पूर्व तैयारियॉं				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0	समय –सीमा	क्र0स0	गतिविधियॉं	विभाग / एजेंसी / जि0 अधि0
1	गर्म हवाऍं / लू विषय पर आंगनबाड़ी सेविकाओं / सहायिका आदि का प्रशिक्षण एवं जागरूकता।	समेकित बाल विकास परियोजना / यूनिसेफ / NGOs	माह मार्च से जून तक	1.	डिहाइड्रेशन से सुरक्षा हेतु विशेषकर बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिये जन–जागरूकता अभियान का आयोजन करना।	समेकित बाल विकास परियोजना
2	गर्म हवाऍं / लू के संबंध में वृद्धाश्रमों, दृष्टि बाधितों / दिव्यांगों के स्कूलों में सूचना साझा किया जाना।	समाज कल्याण विभाग	माह मार्च से जून तक	2.	प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर पेयजल, आईस पैक सहित ओ0आर0एस0 तथा उपयुक्त प्रचार–प्रसार की सामग्रीयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	समेकित बाल विकास परियोजना /
				3.	वृद्धाश्रमों, दृष्टि बाधितों / दिव्यांगों के स्कूलों पर विशेष ध्यान देना।	स्थानीय शहरी निकाय / खण्ड विकास अधिकारी

12. सूचना विभाग–

1. पूर्व तैयारी–माह मार्च से अप्रैल तक

- लू प्रबन्धन की प्लानिंग व समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करना।
- आई.एम.डी. द्वारा प्रसारित पूर्व सूचनाओं/चेतावनी व एडवाजरी का निःशुल्क प्रचार–प्रसार।
- विशिश्ट समूहों को लू से बचाव हेतु आम–जनमानस को समय–समय पर जागरूक करना।
- जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशिक्षण को मीडिया के माध्यम से आम–जनमानस से प्रचारित करवाना।

2. दौरान– रिस्पांस का कार्य–माह मई से 30 सितम्बर तक

- आई.एम.डी. द्वारा प्राप्त चेतावनी व पूर्व सूचनाओं का निःशुल्क प्रचार–प्रसार।
- उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ व राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा प्राप्त जन–जागरूकता मैटेरियल को निःशुल्क प्रिन्ट मीडिया/सोसल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में तत्परता से प्रसारित करवाना।
- लू से बचाव हेतु आम–जनमानस के लिए जनपद में किये जा रहे व्यक्गित/संगठनात्मक कार्यों का प्रचार–प्रसार।
- लू से बचाव हेतु जिलाधिकारी के सन्देशों का प्रचार–प्रसार।

13. जिला आपूर्ति विभाग

जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या–1228 दिनांक–02.04.2025 के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देश निर्गत किया गया है, कि अपने क्षेत्रान्तर्गत उचित दर लू प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए विक्रेता प्रातः काल एवं सांयकाल राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण करेंगे और भी दशा में दोपहर में खाद्यान्न का वितरण न करें। उक्त के अतिरिक्त दुकान पर पर्याप्त छाया हेतु तिरपाल एवं पीने हेतु स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था की जाये तथा ओ0आर0एस0 के पैकेट भी दुकान पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखे जाने हेतु समस्त कोटेदारों को निर्देशित करेंगे।

14. श्रम विभाग

प्रथम फेज (पूर्व तैयारी–Prepardness)	**द्वितीय फेज** (लू के दौरान की कार्यवाही–Relief and Response)	**तृतीय फेज** (लू के बाद की कार्यवाही)
Pre Heat Season **(Feb To March)**	**During The Heat Season** **(April To June)**	**Post Heat Season** **(July To October)**
ईंट–भट्ठों के श्रमिकों, कार्यदायी संस्थाओं/ठेकेदार श्रमिकों एवं मनरेगा श्रमिकों को सेमिनार एवं संगोष्ठि के माध्यम से लू–प्रकोप के सम्बन्ध में जागरूक करना।	विश्राम का समय प्रातः 12:00 बजे से 04:00 तक हो तथा विश्राम स्थल छायादार हो व पीने का पानी की सुविधा हो तथा लू के प्रकोप से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार सुविधा सहित हो, आपातकाल में डाक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा कार्य स्थल पर ओ0आर0एस0 का घोल हो।	पर्याप्त पानी की व्यवस्था एवं हॉस्पिटल में डाक्टर से सम्पर्क स्थापित करना ताकि लू लगने पर बचाव किया जा सके। यदि कोई श्रमिक लू से प्रभावित हुआ एवं कार्य नही कर पा रहा है तो सेवायोजक से पारिश्रमिक दिलाया जाना एवं लू प्रकोप के पैटर्न को समझना ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

15. परिवहन विभाग

1. (पूर्व तैयारी–Prepardness)

- बस स्टेशन ज्वालागंज में यात्री प्रतिक्षालय में छाया, पेयजल व हवा की समुचित व्यवस्था।
- बस स्टेशन ज्वालागंज एवं कार्यशाला शान्तिनगर में वाटर कूलर सेट की व्यवस्था।
- समस्त चालकों/परिचालकों को ओ0आर0एस0 की व्यवस्था
- समस्त चालकों/परिचालकों एवं यात्रियों को हीट वेव से बचने सम्बन्धी काउन्सिलिंग एवं उन्हें जागरूक करना।

2. (लू के दौरान की कार्यवाही–Relief and Response)

- बस स्टेशन ज्वालागंज एवं कार्यशाला शान्तिनगर में वाटर कूलर सेट को सुचारू रूप से संचालित कराना।
- बस स्टेशन ज्वालागंज में यात्रियों के प्रतिक्षालय में पंखे संचालित कराना।
- मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर से चालकों/परिचालकों के लिए स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित कर चिकित्सा कैम्प एवं ओ0आर0एस0 का काउण्टर लगवाना।
- समस्त चालकों/परिचालकों को ओ0आर0एस0 का वितरण कराना तथा हीट वेव से बचने सम्बन्धी काउन्सिलिंग एवं उन्हें जागरूक करना।

16. पुलिस/यातायात विभाग

- फरियादी हेतु पेयजल व ओ. आर. एस. की व्यवस्था।
- मिशन शक्ति के अन्तर्गत हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं को हीटवेव से बचाव हेतु जागरूक करना।
- शासन के निर्देशानुसार सिंगनल पर तेज गर्मी के दौरान एलो सिंगनल संचालित किया जाना और चौराहों पर किसी भी यात्री को धूप में ना रोका जाए।

17. कृषि विभाग

- कृषकों के साथ हीट वेव से बचाव हेतु तैयारी सुनिश्चित करना।
- कम पानी वाले फसलों को लगाने हेतु कृषकों को जागरूक करना।
- कृषकों को लू से बचाव हेतु क्या करें व क्या न करें पर जागरूक करना।

18. नलकूप व सिंचाई विभाग

- समस्त तालाबों को आवश्यकतानुसार भराव करना।
- बन्द नलकूपों की मरम्मत व नलकूपों को क्रियाशील करना।

19. जल निगम

- जनपद के पाइपलाइन के माध्यम से संचालित किये जा रहे पानी आपूर्ति के अन्तर्गत समस्त पाइप लाइन, पानी की टंकी का सुचारू रूप से संचालन व उसकी नियमित निगरानी।
- प्रत्येक वाटर पम्प की क्रियाशील रखना तथा ड्यूटी पर लगाये गये कर्मचारियों का रोस्टर के अनुसार निगरानी।
- बिजली की कटौती को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित अधिशासी अभियंता, विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित करना।

20. सिविल सोसायटी संस्थान/ अंतराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान

पूर्व तैयारियाँ				रिस्पांस		
क्र0स0	गतिविधियाँ	विभाग/एजेंसी/जि0 अधि0	समय–सीमा	क्र0स0	गतिविधियाँ	विभाग/एजेंसी/जि0 अधि0
1	गर्म हवाएँ/लू के कार्ययोजना क्रियान्वयन के लिये राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के साथ साझेदार के रूप में सहयोग।	सिविल सोसायटी संस्थान/अर्न्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान/ डीडीएमए	जनवरी–अप्रैल	1.	सार्वजनिक स्थलों यथा–स्थानीय बाजार, भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर आम जनों के बीच पेयजल वितरण हेतु प्याउ लगवाना।	सिविल सोसायटी संस्थान/ अर्न्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान
2	कार्य योजना के अनुसार समुदाय एवं अन्य हितधारकों का क्षमता निर्माण।	सिविल सोसायटी संस्थान/ अर्न्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान	जनवरी–जून	2.	गर्म हवाएँ/लू के कार्ययोजना क्रियान्वयन हेतु समीक्षात्मक बैठक में प्रतिभाग करना।	सिविल सोसायटी संस्थान/अर्न्तराष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थान/ डीडीएमए

1. हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन

गर्मियों के मौसम में लू चलना आम बात है। ''लू'' लगना गर्मी के मौसम की बीमारी है। ''लू'' लगने का प्रमुख कारण शरीर में नमक और पानी की कमी होना है। पसीने के रूप में नमक और पानी का बड़ा हिस्सा शरीर से निकलकर खून की गर्मी को बढ़ा देता है। सिर में भारीपन मालूम होने लगता है, नाड़ी की गतिबढ़ने लगती है, खून की गति भी तेज हो जाती है। सांस की गति भी ठीक नही रहती तथा शरीर में ऐंठन सी लगती है। बुखार काफी बढ़ जाता है। हाथ और पैरों के तालूओं में जलन सी होती रहती है। आँखें भी जलती हैं। इससे अचानक बेहोशी व अंततः रोगी की मौत भी हो सकती है।

4.1 हीटवेव (लू) से संबंधित बीमारी की रोकथाम।

- ✓ कार्य हेतु घर से बाहर निकलने से पहले पर्याप्त रूप से तरल पदार्थो का सेवन करना।
- ✓ जहा तक सम्भव हो दोपहर के समय जब हीटवेव अपने चरम की स्थिति में हो तब खुले में कार्य करने से बचना चाहिए।
- ✓ तरल पदार्थो का नियमित रूप से सेवन करना।
- ✓ हीटवेव से सम्बन्धित बीमारियों के लक्षणो के दिखाई देने पर तुरन्त नजदीकी चिकित्सा सहायाता लेना।
- ✓ तेज धूप में निकलने से बचे अगर तेज धूप में निकलना जरूरी है तो निकलते वक्त छाता लगा ले या टोपी पहन ले एवं ऐसे कपड़े पहने जिससे शरीर अधिक से अधिक ढ़का हो।
- ✓ हीट–स्ट्रोक से बचने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर घर से बाहर निकला जाय एवं समय–समय पर पानी का प्रयोग करते रहना चाहिए।
- ✓ निर्जलीकरण से बचने के लिए अति आवश्यक है कि अधिक मात्रा में पानी, मौसमी फलों के रस, गन्ने का रस, कच्चे आम का रस, नारियल का पानी, ओ0आर0एस0 घोल, का उपयोग किया जाय।
- ✓ चाय तथा काफी पीने से परहेज करें।
- ✓ अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति गर्मी से पीड़ित है तो व्यक्ति को छायादार स्थान के नीचे किसी ठंडी जगह पर ले जाय। पानी या एक निर्जल पेय दें।
- ✓ लंबे समय तक स्वास्थ्य खराब महसूस होने पर डाक्टर की सलाह लें।
- ✓ शराब, कैफीन कोई की नशीली वस्तु न दें।
- ✓ अपने चेहरे/शरीर पर एक गीला कपड़ा रखकर व्यक्ति को ठंडा करें।
- ✓ बेहतर वेंटिलशन के लिए ढ़ीले कपड़े पहने।
- ✓ आपातकालीन किट अवश्य बनाय कर रखे निश्चित स्थान पर ही रखे।
- ✓ पानी की बोतल हमेशा साथ रखें।
- ✓ छाता, टोपी, सिर ढकने के लिए तौलिया, गमछा आदि पास में रखे।

4.2 हीटवेव रोगों/विकारों के लक्षण एवं प्रथमिक उपचार

- ✓ सर्वेप्रथम व्यक्ति का तापमान लेकर प्रभवित व्यक्ति को किसी छायादार स्थान पर ले जाना चाहिए।
- ✓ मरीज को ठंडी करे तथा उसके शरीर को स्पंज अथवा गीले कपड़ें से पोछे।
- ✓ मनुष्य के शरीर के उच्च तापमान को नियत्रित कर 100 डिग्री फा0 तक रखने प्रयास करें।
- ✓ मरीज को ठंडी जगह में रखें।
- ✓ मरीज को ठंडे पानी के टप में रखे अथवा उसके उपर बर्फ की पटटी रखे जब तक कि उसका तापमान 100 डिग्री0 फा0 तक न हो जाये।
- ✓ निर्जलीकरण की स्थिति में आई0वी0 फलूडस दें।
- ✓ गम्भीर रोगियों को स्थानीय चिकित्सालय/इकाई में भेजकर उपचार करायें।
- ✓ पीडित व्यक्ति के त्वचा पर ठण्डे पानी का छिडकाव करना चाहिए तथा पंखे की सहायता से हवा देनी चाहिए।
- ✓ सचेत होने की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति को नियमित तरल पदार्थ/ओ0आर0ए0 घोल देना चाहिए।
- ✓ पीड़ित व्यक्तियो को यथा शीध्र सहायता देना चाहिए।

4.3 हीटवेव (लू) से प्रभावित मृतकों की पहचान करना तथा आंकड़ो का सुंग्रहण

- ❖ हीट वेव से होने वाले मृतकों एवं परिवार को सरकार द्वारा आर्थिक राहत दी जाती है। अतः मृत्यु के कारण की पहचान किया जाना आवश्यक है।
- ❖ हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु को दर्ज करना:— हीट वेव प्रभावितों की पहचान करना तथा इनसे हुई मृत्यु/मृतकों को दर्ज करना महत्वपूर्ण है।

4.4 हीटवेव (लू) से संबेधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये जन स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्व तैयारी

- ❖ लू–प्रकोप के सम्बंध मे जन जागरूकता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चालाना एवं ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं को अलर्ट जारी करना।
- ❖ सन स्ट्रोक से बचाव के लिए जन सूचना जारी करने के साथ–साथ आपातकालीन स्थिति के लिए कर्मचारियों को तैनात करना।
- ❖ 108/102 आपातकालीन सेवाएं सक्रिय करना।
- ❖ सभी अस्पतालों/पी.एच.सी./सी.एच.सी. में ओ.आर.एस. और तरल पदार्थ के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था कराना।
- ❖ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाईयां उपलब्ध हों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों को हीट वेव से किसी भी प्रकार की घटना होने पर 24×7 क्रियाशील रहने हेतु क्रियाशील रहने हेतु निर्देशित किया जाना।

4.5 हीटवेव (लू) के दौरान क्या करें, और क्या न करें

क्या करें

- ✓ कड़ी धूप में बाहर न निकले, खासकर दोपहर 12:00 बजे से 3:00 बजे तक के बीच।
- ✓ गरम हवा के स्थिति जानने के लिये रेडियो सुने, टी0वी देखे, समाचार पत्र पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान की जानकारी लेते रहे।
- ✓ जितने बार हो सके पानी पीये,प्यास न लगा हो तभी पानी पीये ताकि शरीर मे पानी की कमी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके।
- ✓ हल्के रगं के ढीले ढाले सूती वस्त्र पहने ताकि शरीर तक हवा पहुचे और पसीने को सोख कर शरीर को ठंडा रखे।
- ✓ धूप में बाहर जाने से बचे, अगर बहुत जरुरी हो तो गमछा, चश्में, छाता, टोपी एवं जूते या चप्पल पहनकर ही घर से बाहर निकले।
- ✓ शराब, चाय, कॉफी जैसे पेय पदार्थो का इस्तमाल न करे, यह शरीर को निर्जलित कर सकते है।
- ✓ यात्रा करते समय अपने साथ बोतल में पानी जरुर रखें। गीले कपड़े को अपने चेहरे, सिर और गर्दन पर रखें।
- ✓ गर्मी के दिनों में ओ0आर0एस0 का घोल पिये। अन्य घरेलू पेय जैसे, नीबू पानी, कच्चे आम का बना लस्सी आदि का प्रयोग करे, जिससे शरीर में पानी की कमी न हो।
- ✓ अगर आपकी तबीयत ठीक न लगे, तो गर्मी से उत्पन्न हाने वाले विकारों, बीमारियों को पहचाने। तकलीफ होने पर तुरन्त चिकित्सकीय परामर्श ले।
- ✓ जानवरों को छायादार स्थान में रखें, उन्हे पीने के लिये पर्याप्त मात्रा में पानी दें।
- ✓ अपने घर को ठंडा रखें, घर को पर्दे से ढक कर या पेन्ट लगाकर 3–4 डिग्री तक ठंडा रखा जा सकता है।
- ✓ रात में अपने घरो की खिड़िकियो को अवश्य खुली रखें।
- ✓ कार्यस्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था रखें।
- ✓ फैन, ढीले कपड़े का उपयोग करे। ठंडे पानी से बार–बार नहाएं।

क्या न करें–

- ✓ धूप मे, खडें वाहने में बच्चे एवं पालतू जानवरों को न छोडें।
- ✓ खिड़की की रिफलेक्अर जैसे एल्युमुनियम पन्नी, गत्ते इत्यादि से ढककर रखे, ताकि बाहर की गर्मी का अन्दर आने से रोका जा सके।
- ✓ उन खिड़कियो दरवाजे पर जिनसे दोपहर के समय गर्म हवाएँ आती है, काले कपड़े/पर्दे लगाकर रखना चाहिए।

- ✓ जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण/स्थानीय मौसम के पूर्वानुमान को सूनें और आगामी तापमान में होने वाले परिवर्तन के प्रति सर्तक रहें।
- ✓ आपात स्थिति से निपटने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लें।
- ✓ जहॉ तक सम्भव हो घर में ही रहे , सूर्य के सर्म्पक से बचें।
- ✓ सूर्य की तापमान से बचने के लिए जहॉ तक सम्भव हो घर की निचली मंजिल में ही रहें, सबसे उपरी मंजिल में कदापि न रहें, ताप के प्रभाव से लू (हीट–वेव) का शिकार होने की सम्भावना प्रायः बनी रहती है।
- ✓ संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
- ✓ दिन के 11 बजे से 3 बजे के बीच बाहर न निकले।
- ✓ गहरे रंग के भारी एवं तंग वस्त्र पहनने से बचें।
- ✓ खाना बनातें समय कमरे के खिड़की एवं दरवाजे खुले रखे, जिससे हवा का आना जाना बना रहे।
- ✓ नशीले पदार्थ, शराब तथा अल्कोहल के सेवन से बचें।
- ✓ उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करने से बचें। बासी भोजन न करें।

5 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा की गयी गतिविधियां

- आई0आर0एस0 के तर्ज पर रणनीत बनाना मोक्ड्रिल कराना जिला आपदा प्रंबधन की बैठक कराना।
- सम्बन्धित विभाग के साथ बैठक कर रणनीत बनाना।
- लू से बचाव हेतु प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियोन कराना।
- कन्ट्रोल रूम की स्थापना करना।
- सम्बन्धित विभाग के साथ प्रतिदिन रणनीत बनाना/चर्चा करना।
- समय–समय पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराना।
- क्षमता बर्धन कराना।
- मीटिगेशन फण्ड से आपदा न्यूनीकरण का कार्य कराना।
- आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु कार्य योजना का निर्माण करना
- सेंडई फ्रेम वर्क पर कार्य करना
- आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्य करना
- जन जागरूकता अभियान

5.1 हीटवेव से संबंधित बीमारियों के प्रबंधन के लिये अभिनव कार्य/बेस्ट प्रेक्टिसेज, उपाय (सामुदायिक जागरूकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व तैयारी, कमजोर वर्ग के लिये सुरक्षात्मक उपाय, आंकड़ों का संग्रह एवं प्रतिवेदन तथा अन्य कार्य।

CASES AND DEATHS DUE HEAT RELATED ILLNESS – FATEHPUR

SR.	NAME OF DISDTRICT	NEW CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED ILLNESS	COMMULATIVE NO. OF CASES ADMITTED DUE TO HEAT RELATED ILLNESS	DEATHS REPORTES DUE TO DUE TO HEAT RELATED ILLNESS	COMMULATIVE NO. OF DEATHS REPORTES DUE TO DUE TO HEAT RELATED ILLNESS	REMARK
1	2	3	4	5	6	7
1	Fatehpur	0	0	0	0	0

CHIEF MEDICAL OFFICER
DISTRICT FATEHPUR

5.2 क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा तय की जाती हैं जिसमें सम्बन्धित विभाग के अधिकारी कर्मचारी,समुदाय के लोगो को समय–समय पर आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण हेतु प्रशिक्षण व मार्कड्रिल कराया जाता हैं स्कूलों, अस्पतालों, ग्रामवासियों इत्यादि लोगों को आपदा प्रबंधन का अलग–अलग विशयों पर प्रशिक्षण दिया जाता हैं।

5.3 दीर्घकालिक हीटवेव (लू) से सुरक्षा के उपाय।

- लोगों को हीटवेव से बचाव के लिए जागरूक किया जाय।
- समुदाय व सम्बन्धित विभाग को प्रशिक्षण कराया जाय।
- आवश्यकता के अनुसार संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए।
- समय–समय मोक्ड्रिल का आयोजन होना चाहिए।
- हीटवेव से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें इसका प्रचार–प्रसार होना चाहिए।

5.4 सीखें

- सभी विभाग/एजेन्सीज को समय से हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर अगले वर्ष के लिये तैयार रहना चाहिए। ताकि गर्मी से होने वाले नुकसान, मृत्यु एवं बीमारी को कम किया जा सके।''

5.5 हीटवेव (लू) से संबंधित मामलों का अध्ययन

- ❖ हीटवेव से हुए हानि का सर्वे एवं पारिवारिक, भूगोलिक, सामाजिक एवं संसाधनों की उपलब्धता पर गहन अध्ययन करके आगामी रणनीत बनाकर कार्य किया जाय।

5.6 वित्तीय प्रावधान

- ❖ हीटवेव से बचाव हेतु मीटिगेशन फण्ड से वित्तीय प्रावधान किया गया है।

संलग्नक–3 महत्वपूर्ण फोन नम्बर की सूची (नोडल अधिकारी सहित)

जिला स्तरीय अधिकारीगण

क्र0	पदनाम		मोबाइल नम्बर	
1.	जिलाधिकारी फतेहपुर	DM	**CUG**	9454417518
2.	पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर	SP	**CUG**	05180–224413 (कार्यालय) 224895 (निवास) 9454400268
3.	मुख्य विकास अधिकारी	CDO 224514 224421	**CUG**	9454464564 221919 (**Fax**)
4.	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	ADM (F&R)	**CUG**	9454417589
5.	अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)	ADM (J)	**CUG**	9454417874
6.	उप जिलाधिकारी, सदर	SDM Sadar	**CUG**	9454417860
7.	उप जिलाधिकारी, बिन्दकी	SDM Bindki	**CUG**	9454417865
8.	उप जिलाधिकारी, खागा	SDM Khaga	**CUG**	9454417878
9.	अपर उप जिलाधिकारी (प्रथम)	ASDM 1	**CUG**	9454417873 9532992505 6394079443
10.	अपर उप जिलाधिकारी (द्वितीय)	ASDM 2	**Per** **Per**	8004368857 7007648253
11.	अपर उप जिलाधिकारी	ASDM 3	**Per**	8318341303
12.	अपर उप जिलाधिकारी,	ASDM 4	**Per**	9956907063
13.	अपर उप जिलाधिकारी	ASDM	**Per**	8299775953
14.	अधीक्षक, जिला कारागार		**CUG**	9454418265
15.	जिला विकास अधिकारी	DDO	**CUG** **Per**	9454464558

			Per	9412510627 9170110627
16.	सहायक आयुक्त, स्टाम्प	AIG Stamp	**CUG** **Per** **Per**	9415876178 7007383191 9129817997
17.	बन्दोबस्त अधिकारी	SOC	**Per** **Per**	9454449915 9454945881
18.	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी	DIO NIC	**Per**	9918005708
19.	वरिष्ठ मुख्य कोषाधिकारी	Sr.TO/ CTO	**CUG** **Per**	8765923535 8299735154
20.	डिप्टी कमिश्नर, व्यापार कर	Dy. Commissioner Sell tax	**CUG** **Per**	7235002621 9454870805
21.	जिला आबकारी अधिकारी	DEO	**CUG** **Per**	9454465616 9453301594
22.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकीय विभाग	DFO	**CUG** **Per**	7839435174 9415056991
23.	जिला पंचायत राज अधिकारी	DPRO	**CUG** **Per**	7388039907 8318042294
24.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रथम	DSTO 1	**Per**	9838799562
25.	जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, द्वितीय	DSTO 2	**Per** **Per** **Per**	6393967466 9759150200 9412427456
26.	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फतेहपुर	PD DRDA	**CUG** **Per**	9454464557 9634638321
27.	उपायुक्त स्वतः रोजगार मनरेगा (श्रम एवं रोजगार)	DC Manrega	**CUG** **Per**	8765983066 7880908466
28.	प्रभारी परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, फतेहपुर	Incharge PO DUDA	**CUG** **Per**	8573002273 8299115953
29.	पी0ओ0 नेडा	PO Neda	**CUG** **Per**	9415609027 8574741342
30.	जिला युवा कल्याण अधिकारी, फतेहपुर	DO PVD		7985337423

31.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	DSWO	**Per**	9026991518
32.	जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)	DSWO	**Per**	7701958298
33.	जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी	DHWO	**Per**	9971963785
34.	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	DBWO	**Per** **Per**	7376795257 9076600538
35.	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, फतेहपुर	DMWO	**Per**	9899947712
36.	उप निदेशक कृषि प्रसार	DDAg	**Per** **Per**	9415168795 7390968073
37.	जिला कृषि अधिकारी	DAO	**CUG** **Per**	8429031741 9415833137
38.	जिला उद्यान अधिकारी	DHO	**Per**	9454081679
39.	माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई	AEMI	**Per**	9919599900
40.	जिला क्रीडा अधिकारी	DSO	**Per**	8527567988
41.	डी0सी0 एन0आर0एल0एम0	DC NRLM	**Per**	6307267564
42.	सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता	AR CO Operative	**Per** **Per**	9415379967 9792772670
43.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिकारी, ग्राम विकास संस्थान	DTO	**CUG**	8765957376
44.	सहायक श्रमायुक्त	ALC	**Per**	9634753411
45.	जिला कार्यक्रम अधिकारी, फतेहपुर	DPO Programme	**Per**	7668031700
46.	प्रभारी जिला प्रोबेशन अधिकारी, फतेहपुर	In. DPO (Probetion)	**Per**	9026991518
47.	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द, फतेहपुर	GM DIC	**Per**	9628918918 7275525909
48.	जिला सेवायोजन अधिकारी	DEO	**Per**	8005383872
49.	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी		**Per**	9839728446
50.	सहायक निदेशक मत्स्य	AD Fishries	**Per**	9415569016
51.	प्रभारी जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र फतेहपुर		**Per**	9891408870
52.	जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास अधिकारी		**CUG** **Per**	7839553231 9918797960

53.	अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत	AMA	**Per**	8173969345
54.	वरिष्ठ निरीक्षक, बांट एवं माप, नउवा बाग		**Per**	9415771970
55.	गन्ना निरीक्षक, बिन्दकी / घाटमपुर		**CUG**	7081202345
56.	प्रबन्धक स्थानीय प्रभारी दुग्ध संघ/पराग डेरी, चौडगरा, मौहार फतेहपुर		**Per**	7379811803
57.	सहायक निदेशक, रेशम फतेहपुर		**Per**	8919751694
58.	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस		**CUG**	8005194020
59.	जिला बारह बटालियन, पी0ए0सी0, फतेहपुर		**CUG**	9454400359
60.	जिला पूर्ति अधिकारी पटेल नगर चौराहा, फते0	DSO	CUG Per	7839564635 9415183099
61.	अभिहीत अधिकारी, फतेहपुर	FSO	**CUG**	9454468559
62.	जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी	Dy RMO	**CUG** **Per**	7839564976 9455003811
63.	प्राचार्य डॉयट		**Per**	9838908360
64.	जिला विद्यालय निरीक्षक अधिकारी	DIOS	**CUG** **Per**	9454457381 7007743562
65.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	BSA	**CUG** **Per**	9453004065 9415970064
66.	मुख्य चिकित्साधिकारी	CMO	**CUG** **Per**	8005192654 9412255177
67.	प्राचार्य मेडिकल कॉलेज	Prinicipal Medical College	**Per**	9839024666
68.	मुख्य चिकित्साधिक्षक, पुरूष	CMS Male	**CUG** **Per**	8005192721 8707723308
69.	मुख्य चिकित्साधिक्षक, महिला	CMS Female	**CUG** **Per**	8005192720 9935164138
70.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फतेहपुर	CVO	**Per**	9415947185
71.	अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रशासन /जिला कुष्ठ रोग अधिकारी	ACMO (Administration)	**Per** **Per**	8127248715 9415436146

72.	जिला मलेरिया अधिकारी	DMO	**Per**	9453563758
73.	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी		**Per**	9453297618
74.	जिला होम्योपैथिक अधिकारी		**Per** **Per**	9415537538 7080499924
75.	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग, फते0	Ex.En. PWD CD-2	**Per**	9415269611
76.	अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, फतेहपुर (सदर, हुसैनगंज, खागा)	Ex.En. PWD PD (NK)	**Per**	9456615799
77.	अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, फतेहपुर	Ex.En. PMGSY	**Per**	9415717469
78.	अधिशासी अभियन्ता, निचली गंगा नहर, फतेहपुर	Ex.En. LGC	**Per**	9415323478
79.	अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड(सिंचाई जल संसाधन)	Ex.En. Irrigation	**Per**	9450315958
80.	अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, फतेहपुर	Ex.En. Drainez Khand		9453544608
81.	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप (सिंचाई यांत्रिकी), फतेहपुर	Ex.En. Nalkoop	**CUG** **Per**	9454414760 9653095711
82.	अधिशासी अभियन्ता, लघुडाल जरौली पम्प कैनाल, फतेहपुर	MLCD- Miner Lift Canal Division	**CUG**	9454415060
83.	प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (नगरीय), फतेहपुर	Ex.En. Jal Nigam	**CUG** Per	9473942667 9794921863
84.	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण), फतेहपुर	Ex.En. Jal Nigam Gramin	Per	8770245348
85.	अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	Ex.En. RES	**Per** **Per**	9919147117 8317097639
86.	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, फतेहपुर।	SE Hydel	**CUG** **Per**	9415343456 9838077055
87.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम सदर	Ex.En. Hydel Sadar	**CUG** **Per**	9450963713 6390014424

88.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बिन्दकी	Ex.En. Hydel Bindki	**CUG**	9450963682
89.	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, तृतीय खागा	Ex.En. Hydel Khaga	**CUG**	9450963692
90.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, सदर	EO NPP Sadar	**CUG** **Per**	8189078235 9793783510
91.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, खागा	EO NP Khaga	**CUG** **Per**	8189078237 9452160280
92.	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बिन्दकी	EO NPP Bindki	**CUG** **Per** **Per**	8189078236 8859825787 6307134249
93.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत असोथर	EO NP Asothar	**CUG** Per	6386642897 7081822828
94.	प्रभारी अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बहुआ	EO NP Bahua	**CUG** **Per**	8189078237 7081822828
95.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत किशनपुर	EO NP Kishanpur	**CUG**	8318012079
96.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत हथगाम	EO NP Hathgam	**Per** **Per**	6306689609 8563867127
97.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत कोड़ा जहानाबाद	EO NP Koda Jahanabad	**CUG** **Per**	8318012079 8189078239
98.	जिला सूचना अधिकारी	DIO Information	**CUG**	9453005382
99.	लीड बैंक मैनेजर, फतेहपुर	LDM	**CUG** **Per**	8601804414 9904764129
100.	मैनेजर, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	SBI Manager	**Per**	9140886918
101.	मण्डल अभियंता, दूर संचार विभाग, फतेहपुर	DE /TDM	**CUG**	9415335775
102.	सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, फतेहपुर	ARM Roadways	**Per**	9415049669
103.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), फतेहपुर	ARTO (Administration)	**CUG** **Per**	**8005441135** 9140674050

104.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), फतेहपुर।	ARTO (Pravartan)	**CUG** **Per** **Per**	**8005441136** 9415252787 7007619989
105.		PTO	**Per**	9235797900
106.	प्रधान सहायक/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,	ADEO Fatehpur	**CUG** **Per**	9454418029 7275104597
107.	प्रभारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), फते0	ADEO (P) Fatehpur	**CUG** Per Per	8765984148 7376795257 9076600538
108.	खान अधिकारी, फतेहपुर	Mines Officer	**CUG**	8887534776

Annexure-II

Advisory for heat wave 2023

State level

- State governments must update and customise their Heat Action plans as per NDMA guidelines 2019, which have already been circulated to all concerned vide NDMA letter No. 1-79/2019-PP dated 22nd October 2019 and also uploaded on the NDMA website. (https://ndma.gov.in/images/guidelines/heatwaveguidelines.pdf)
- Heat wave Action Plan of the State may be circulated to all Collectors &HoDs of concerned line departments with instructions for its implementation.
- States must appoint a Nodal Officer at each level (State, District and Block levels) for communicating early warning and coordinating the implementation of HAP.
- State government must review and monitor the heat wave situation through video conferencing with concerned line departments/districts/blocks.
- Put up display boards with colour coding for heat wave alert at different locations.
- Widely publicise Do's & Don'ts for general awareness.
- Publish IEC print material (print material, radio jingles and TVCs) in regional language.
- Warnings may be disseminated by using SMSes, WhatsApp etc.
- Keep stock of ORS packets essential medicines, intravenous fluids, ice pack etc. at health centers and anganwadis.
- School timings should be re-scheduled to avoid peak heat/ midday. Schools may start early and close before noon.
- Large-scale setting up of drinking water stations (kiosks) at public places.
- Setting up special shelters for MNREGA/construction workers and rescheduling their working hours.
- Undertake local thresholds assessment with the partnership of expert institutions.

District level

- Undertake awareness campaign to inform and educate the public on Heat wave Do's & Don'ts.
- Undertake necessary steps to prevent heat-related deaths.
- Hold regular Press conferences on the risks and dangers of heat-related illnesses activate "cooling centres" such as temples, public buildings, malls, etc. and urge NGOs, community groups and individuals to open drinking water / butter milk kiosks at public places during Heat Wave conditions.
- Urge power companies to prioritise maintaining power supply to critical facilities (such as hospitals and UHCs).

***

Sl. No.	Name & Address of Chief Secretaries
1.	Dr. K.S. Jawahar Reddy Chief Secretary Govt. of Andhra Pradesh A.P. Secretariat, Velagapudi, Guntur – 522238 (Andhra Pradesh)
2.	Sh. Dharmendra Chief Secretary Government of Arunachal, Pradesh, Civil Secretariat, Itanagar-791111
3.	Shri Amir Subhani Chief Secretary Govt. of Bihar Old Secretariat, Patna - 800015
4.	Shri Amitabh Jain Chief Secretary Govt. of Chhattisgarh Room No. S4-21, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar, Raipur – 492001
5.	Shri Pankaj Kumar, Chief Secretary Govt. of Gujarat Gujarat Sachivalaya, Gandhinagar – 382010
6.	Shri Sanjeev Kaushal Chief Secretary Govt. of Haryana Haryana Civil Secretariat, Sector-I, Chandigarh- 160001
7.	Sh. Prabodh Saxena Chief Secretary Govt. of Himachal Pradesh Room No. E-201B, Secretariat, Shimla- 171002
8.	Shri Sukhdev Singh Chief Secretary Govt. of Jharkhand Project Building, Dhurwa, Ranchi- 834004
9.	Smt Vandita Sharma Chief Secretary Government of Karnataka Room No. 320, 3rd Floor, Vidhana Soudha, Bengaluru - 560 001
10.	Shri Iqbal Singh Bains Chief Secretary Govt. of Madhya Pradesh VallabhBhawan, Bhopal – 797001

11.	Shri Manu Kumar Srivastav Chief Secretary Govt. of Maharashtra Room No 518, 5 th Floor, Main Building, Mumbai – 400032
12.	Sh. Suresh Chandra Mahapatra Chief Secretary Govt. of Odisha Odisha Secretariat, Bhubaneswar- 751001
13.	Sh. Vijay Kumar Janjaua Chief Secretary Government of Punjab Secretariat, Chandigarh - 160001
14.	Ms. Usha Sharma Chief Secretary Govt. of Rajasthan Secretariat, Jaipur-302005
15.	Dr. V. Irai Anbu Chief Secretary Govt. of Tamil Nadu T. N. Govt. Secretariat, Chennai- 600009
16.	Shri Somesh Kumar Chief Secretary Govt. of Telangana Telangana Secretariat, Hyderabad-500022
17.	Shri Durga Shanker Mishra Chief Secretary Govt. of Uttar Pradesh Lal Bahadur Shastri Bhawan, UP Secretariat, Lucknow- 226001
18.	Dr S.S. Sandhu Chief Secretary Govt. of Uttarakhand Secretariat Campus, Rajpur Road, Dehradun- 248001
19.	Shri Hari Krishna Dwivedi Chief Secretary Govt. of West Bengal Nabanna (13th Floor) 325, SaratChatterjee Road, Shibpur, Howrah-711102
20.	Sh. Naresh Kumar Chief Secretary Govt. of Delhi Delhi Secretariat, New Delhi- 110002
21.	Shri Arun Kumar Mehta Chief Secretary

	Govt. of Jammu & Kashmir Civil Secretariat, Jammu - 180001
22.	Shri V.P. Joy Chief Secretary, Govt. of Kerala Secretariat, Thiruvananthapuram- 695001
23.	Shri Puneet Kumar Goel Chief Secretary Govt. of Goa Secretariat, Porvorim – 403521

हीटवेव जागरूकता पोस्टर्स

उत्तर प्रदेश
हीट वेव
(लू)
से बचाव हेतु
सुरक्षा के उपाय
क्या करें
अधिक परिश्रम के मध्य विश्राम अवश्य करें।
धूप से बचने के लिए हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहनें।
सफर में अपने साथ पानी हमेशा रखें। प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी पीते रहें।
शरीर अधिक गर्म लगने पर स्नान करें।
ठंडक प्रदान करने वाले फल खायें तथा पेय पदार्थ पियें।
कमरा/घर ठंडा रखें। खिड़की पर पन्नी, गत्ते इत्यादि लगाएं।
क्या न करें
अधिक धूप में बाहर न जाएं।
अधिक गर्मी में व्यायाम न करें।
शराब न पियें।
सूखी पत्तियों को न जलाएं।
बच्चों व पालतू जानवरों को धूप में एवं बंद वाहन में अकेला न छोड़ें।
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी
Email:-upsdma@gmail.com
1070
108
100/112
2/11

UTTAR PRADESH STATE
HEAT ACTION PLAN
लू-तापघात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही उपचार है.

UTTAR PRADESH STATE
HEAT ACTION PLAN

UTTAR PRADESH STATE
HEAT ACTION PLAN
हारेगी गर्मी जीतेगा उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी

UTTAR PRADESH STATE
HEAT ACTION PLAN
लू-तापघात के लक्षण
उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी